breakthrough

unicef

unite for children

मॉड्यूल 12

कानून और नीति संबंधी सहायता

किशोर सशक्तिकरण और हिंसा तथा यौन अपराधों की रोकथाम के लिए

किशोरों, सामाजिक और फील्ड वर्करों के लिए एक सूचनाप्रद पुस्तिका

किशोरवय सशक्तिकरण टूलकिट

© यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड (यूनिसेफ)
© ब्रेकथ्रू

इस प्रकाशन को शिक्षा या लाभ रहित उद्देश्य हेतु पुनः उत्पादन कॉपीराइट धारक के अनुमति के बिना किया जा सकता है यदि इसके स्रोत को मान दें।

इंगित संसकरणः
“किशोरवय सशक्तिकरण टूलकिट” 2016, नई दिल्ली : यूनिसेफ एवं ब्रेकथ्रू
यूनिसेफ एवं ब्रेकथ्रू को ऐसे प्रतिलिपि को पाकर खुशी होगी जो इस प्रकाशन को स्रोत के तौर पर इस्तेमाल कर रहें हों।

यदि इस प्रकाशन को किसी भी व्यावसायिक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है तो लिखित में अनुमति की जरूरत पड़ेगी।

अनुमति एवं अन्य सवालों के लिए संपर्क करेंः
newdelhi@unicef.org

सामनेवाले कवर का फोटो
© Breakthrough/India

© Breakthrough/India

मॉड्यूल 12

किशोरों, सामाजिक और फील्ड् वर्करों के लिए एक सूचनाप्रद पुस्तिका

किशोर सशक्तिकरण टूलकिट की 12वीं प्रस्तुति : लिंग आधारित हिंसा, यौन अपराध के समाधान और किशोर सशक्तिकरण के संबंध में कानून और भारत सरकार की योजनाओं के बारे में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं तथा किशोरों को जानकारी प्रदान करने के लिए एक जानकारी प्रदान करने वाली पुस्तिका।

विषय सूची

युनिसेफ	पृष्ठ 5
ब्रेकथ्रू	पृष्ठ 6
लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कानून	पृष्ठ 8
घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005	पृष्ठ 8
क्रूरता से संबंधित कानून	पृष्ठ 17
दहेज हत्या से संबंधित कानून	पृष्ठ 18
यौन अपराध पर कानून	पृष्ठ 20
महिलाओं के प्रति शारीरिक अपराध	पृष्ठ 24
भा.दं.सं की धारा 326A: तेजाब से इच्छापूर्वक गंभीर चोट पहुंचना	पृष्ठ 24
भा.दं.सं की धारा 326B: इच्छापूर्वक तेजाब फेंकना या फेंकने का प्रयास करना	पृष्ठ 24

भा.दं.सं की धारा 354 - महिला का शील भंग करने के इरादे से किया गया हमला या अपराधिक कृत्य | पृष्ठ 25

भा.दं.सं की धारा 354 A: यौन उत्पीड़न | पृष्ठ 25

भा.दं.सं की धारा 354 B: निर्वस्त्र करने के इरादे से महिला पर हमला करना या अपराधिक बल प्रयोग करना | पृष्ठ 25

भा.दं.सं की धारा 354 C: छिप कर देखना | पृष्ठ 25

भा.दं.सं की धारा 354 D: पीछा करना | पृष्ठ 25

भा.दं.सं की धारा 509: महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से कुछ कहना, इशारे करना या कृत्य करना | पृष्ठ 26

मानव तस्करी-रोधी | पृष्ठ 26

गिरफ्तारी/नजरबंदी/पूछताछ के मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश | पृष्ठ 35

यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा पर कानून | पृष्ठ 36

बाल यौन उत्पीड़न के मुद्दे को संबोधित करने में मीडिया के लिए NHRC दिशानिर्देश | पृष्ठ 39

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकों पर कानून (लिंग चयन का प्रतिषेध) 1994 | पृष्ठ 40

लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए सरकारी कार्यक्रम और योजनाएं पृष्ठ 45

लाडली लक्ष्मी योजना (मध्य प्रदेश) पृष्ठ 46

बालिका सुरक्षा योजना पृष्ठ 46

धनलक्ष्मी योजना (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) पृष्ठ 47

भाग्य लक्ष्मी योजना - कर्नाटक पृष्ठ 47

लाडली योजना पृष्ठ 48

बालिका समृद्धि योजना पृष्ठ 48

लाडली योजना पृष्ठ 49

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना पृष्ठ 49

इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना पृष्ठ 50

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) पृष्ठ 50

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) पृष्ठ 51

प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) पृष्ठ 52

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) पृष्ठ 53

एकीकृत बाल सुरक्षा योजना पृष्ठ 55

एकीकृत बाली विकास सेवाएं (आईडीएस) योजना पृष्ठ 57

किशोरी शक्ति योजना पृष्ठ 58

किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (आरजीएसईएजी) या सबला पृष्ठ 58

प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता (एसटीईपी) पृष्ठ 59

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) – सशर्त मातृत्व लाभ (सीबीएम) योजना पृष्ठ 60

उज्जवला योजना पृष्ठ 61

महिलाओं के लिए विशेष कदम पृष्ठ 62

यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड (यूनिसेफ)

190 देशों और क्षेत्रों में बच्चों को बचपन से लेकर किशोरावस्था तक उनके जीवन का बचाव और उसके पनपने के लिए कार्य करती है। विकासशील देशों को दुनिया के सबसे बड़े टीका प्रदाता के रूप में कार्य करते हुए यूनिसेफ बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण, अच्छा जल एवं सौच सुविधा, सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता पूर्ण बुनियादि शिक्षा तथा हिंसा, शोषण और एड्स से रक्षा करती है। यूनिसेफ पूर्णतया व्यक्तियों, व्यापार संस्थानों और सरकारों द्वारा स्वेच्छा से दिये गए वित्तिय योगदान से पोषित है।

www.unicef.in

/unicefindia
@UNICEFIndia

United Nations Children's Fund, 73 Lodi Estate, New Delhi 110 003, India
☎ 91-11-24690401 🖷 91-11-24627521

✉ newdelhi@unicef.org

ब्रेकथ्रू एक मानवाधिकार संस्था है

जो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाली हिंसा और भेदभाव को समाप्त करने के लिए काम करती है। कला, मीडिया, लोकप्रिय संस्कृति और सामुदायिक भागीदारी से हम लोगों को एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसमें हर कोई सम्मान, समानता और न्याय के साथ रह सके।

हम मल्टीमीडिया अभियानों के माध्यम से इन मुद्दों को मुख्य धारा में ला रहे हैं। इसे देश भर के समुदाय और व्यक्तियों के लिए प्रासंगिक बना रहे हैं। इसके साथ ही हम युवाओं, सरकारी अधिकारियों और सामुदायिक समूहों को प्रशिक्षण भी देते हैं, जिससे एक नई ब्रेकथ्रू जनरेशन सामने आए जो अपने आस-पास की दुनिया में बदलाव ला सके।

www.inbreakthrough.tv

/BreakthroughIN

@INBreakthrough

E-1A, First Floor, Kailash Colony, New Delhi 110 048, India

☎ 91-11-41666101 91-11-41666107

✉ contact@breakthrough.tv

© UNICEF/India /Singh

लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कानून

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम एक नागरिक कानून है, जिसका लक्ष्य घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं को तत्काल सहायता प्रदान करना है। यह कानून महिला के हिंसा मुक्त घर में रहने के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है और उसे कानूनी सहायता प्रदान करता है। उद्देश्य और कारणों के विवरण के पहले तीन पैराग्राफ इस प्रकार हैं।

प्रश्न. पीड़ित व्यक्ति कौन है ?[1]

पीड़ित व्यक्ति का आशय किसी ऐसी महिला से है :

- जिसका प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध हो या रहा हो,
- जो यह आरोप लगाए कि प्रतिवादी द्वारा घरेलू हिंसा की गई है, इसमें अविवाहित बहन, माता, विधवा आदि शामिल हैं।

प्रश्न. प्रतिवादी कौन है?[2]

प्रतिवादी का आशय किसी ऐसे वयस्क पुरूष से है:

- जिसका पीड़ित व्यक्ति के साथ घरेलू संबंध हो या रहा हो।
- जिसके विरूद्ध घरेलू हिंसा का आरोप लगाया गया हो।

  कोई पीड़ित पत्नी अपने पति के किसी रिश्तेदार के विरूद्ध शिकायत दर्ज कर सकती है।

  विवाह के स्वरूप वाले रिश्ते में रहने वाली कोई महिला अपने पुरूष पार्टनर के विरूद्ध शिकायत दर्ज कर सकती है।

प्रश्न. घरेलू संबंध क्या होता है?[3]

इसका आशय किसी महिला और पुरूष जो एक साझे घर में रहते हों अथवा किसी समय रहे हों, के बीच के संबंध से है: यह संबंध निम्नलिखित के माध्यम से हो सकता है:

[1] धारा 2 (a)
[2] धारा 2 (q)
[3] धारा 2 (f)

- विवाह
- खून का रिश्ता (अर्थात् पिता-पुत्री, भाई-बहन का रिश्ता, पितामह-पौत्री आदि)
- गोद लेना
- संयुक्त परिवार के रूप में साथ रहने वाले परिवार के सदस्य
- विवाह के स्वरूप वाले रिश्ते (अर्थात् लिव-इन-रिलेशनशिप)

प्रश्न. सांझा घर क्या है?[4]

कोइ ऐसा घर, जिसमें कोई महिला किसी आदमी के साथ संयुक्त रूप से या अकेले घरेलू संबंधों में रहती हो या रही हो। इसमें निम्नलिखित घर शामिल हैं :

- जो संयुक्त रूप से महिला और पुरुष द्वारा या अकेले किसी एक के द्वारा खरीदा या किराए पर लिया गया हो।
- जो उनमें से किसी एक के स्वामित्व में हो या उसने किराए पर लिया हो और जिसके संबंध में महिला या पुरुष का या दोनों का अलग-अलग या संयुक्त रूप से कोई अधिकार हो, हकनामा, हित या इक्विटी हो।
- जो उस संयुक्त परिवार से संबंधित हो, जिसका आदमी सदस्य हो, चाहे महिला या आदमी का उस घर में कोई अधिकार, हकनामा या हित या रुचि हो या न हो।

प्रश्न. बच्चा कौन है?[5]

बच्चे का आशय किसी ऐसे व्यक्ति से है :

- जो 18 वर्ष से कम आयु का हो
- कोई गोद लिया गया, सौतेला या पालन-पोषण किया गया बच्चा

प्रश्न. घरेलू घटना रिपोर्ट (DIR) क्या है?[6]

इसका आशय एक ऐसी रिपोर्ट से है, जिसे पीड़ित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने के बाद लिखा जाता है। यह शिकायत का सरकारी रिकार्ड है।

प्रश्न. शिकायत क्या है ?[7]

शिकायत का आशय किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सुरक्षा अधिकारी के समक्ष लगाया गया मौखिक अथवा लिखित आरोप से है।

प्रश्न. परामर्शदाता कौन होता है?[8]

परामर्शदाता का आशय किसी ऐसे व्यक्ति से है, जिसे परामर्श देने का अनुभव हो और वह सेवाप्रदाता संगठन का सदस्य हो।

घरेलू हिंसा क्या है?

कानून के अनुसार घरेलू हिंसा की परिभाषा को समझना महत्वपूर्ण है। इसका आशय है:[9]

“प्रतिवादी के किसी ऐसे कृत्य, चूक अथवा आचरण को घरेलू हिंसा माना जाएगा, यदि उससे –

- पीड़ित व्यक्ति को शारीरिक या मौखिक और भावनात्मक या लैंगिक या आर्थिक हानि के ज़रिए उसे क्षति, चोट पहुंचती है, स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन अथवा खुशहाली को खतरा पहुंचता है अथवा
- उस पर या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति पर दहेज या सम्पत्ति या मूल्यवान सिक्यूरिटी से संबंधित किसी गैर-कानूनी मांग को पूरा करने के दबाव डालकर उत्पीड़ित करना, नुकसान, चोट अथवा उसके लिए खतरा पैदा करना। अथवा
- पीड़ित व्यक्ति अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति को (i) और (ii) में उल्लिखित किसी भी आचरण द्वारा धमकी देना। अथवा
- पीड़ित व्यक्ति को शारीरिक अथवा मानसिक चोट पहुंचाना ।

घरेलू अब्यूस - हिंसा के प्रकार

- शारीरिक कदाचार

[4] धारा 2 (एस)
[5] धारा 2 (बी)
[6] धारा 2 (इ)
[7] नियम 2 (बी)
[8] नियम 2 (सी) और धारा 14
[9] धारा 3

- मौखिक और भावनात्मक कदाचार
- लैंगिक कदाचार
- आर्थिक कदाचार[10]

कर्त्तव्य का निर्वहन करने वाले व्यक्ति

इस कानून का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी हैं :

- सुरक्षा अधिकारी
- सेवा प्रदाता
- पुलिस अधिकारी
- मैजिस्ट्रेट
- चिकित्सा सुविधाएं
- शेल्टर होम
- कानूनी सेवाएं प्रदान करने वाले अधिकारी

जहाँ पुलिस को ऐसी सूचना प्राप्त होती है, जो संज्ञेय अपराध हो तो ऐसी स्थिति में पुलिस की ड्यूटी है कि वह कानून के अनुसार कार्रवाई करे।

प्रश्न. : पुलिस अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, सेवाप्रदाता और मैजिस्ट्रेट के क्या कर्त्तव्य हैं?[11]

उत्तर : पुलिस अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, सेवाप्रदाता अथवा मैजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति को उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेंगे जब:

- उन्हें घरेलू हिंसा के बारे में शिकायत प्राप्त हो अथवा
- वे घरेलू हिंसा के स्थान पर उपस्थित हों अथवा
- जब घरेलू हिंसा की घटना के बारे में सूचना प्राप्त् हो

ये अधिकार हैं:

- राहत प्राप्त करने के लिए आवेदन बनाना (सुरक्षा, आदेश, मौद्रिक राहत, कस्टडी से संबंधित आदेश, आवास संबंधी आदेश, क्षतिपूर्ति से संबंधित आदेश)
- सेवा प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता
- सुरक्षा अधिकारी की सेवाएं उपलब्ध होना
- नि:शुल्क, कानूनी सहायता
- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए के अंतर्गत शिकायत दर्ज करना।

घरेलू हिंसा के बारे में सूचना

प्रश्न. क्या घरेलू हिंसा के बारे में कोई तीसरा व्यक्ति सूचना दे सकता है/ शिकायत कर सकता है?[12]

उत्तर : जी हाँ, तीसरा व्यक्ति, सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के बारे में मौखिक अथवा लिखित सूचना दे सकता है।

तीसरे व्यक्ति को घरेलू हिंसा के बारे में यह जानकारी होनी चाहिए कि :

- घरेलू हिंसा की गई है अथवा
- घरेलू हिंसा की जा रही है अथवा
- घरेलू हिंसा किए जाने की संभावना हो

सुरक्षा अधिकारी के कर्त्तव्य और कार्य

प्रश्न. सुरक्षा अधिकारी के कर्त्तव्य और कार्य क्या हैं ?[13]

सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य इस प्रकार हैं:

- घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त् होने के बाद

[10] http://www.helplinelaw.cp,/family-law/DVLI/domes-tiv-vio- lence-in-india.html से लिया गया
[11] धारा 5
[12] धारा 4 और नियम 4
[13] धारा 9

चरण 1 - घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार करना

चरण 2 – घरेलू हिंसा रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना

चरण 3 – घरेलू हिंसा रिपोर्ट की प्रतिलिपि :

पुलिस स्टेशन (जिनके क्षेत्राधिकार में घरेलू हिंसा घटी हो)
सेवा प्रदाता को भेजना

- पीड़ित व्यक्ति को आवेदन बनाने में सहायता करना, जिसमें एक पक्षीय आदेश के लिए राहत के दावे का आवेदन बनाना भी शामिल है।
- यह सुनिश्चित करना कि पीड़ित व्यक्ति को कानूनी सहायता प्राप्त हो।
- पीडित व्यक्ति को शिकायत फार्म, जिसमें शिकायत की जाएगी, नि:शुल्क मुहैया कराया जाएगा
- यदि पीडित व्यक्ति अपने को सुरक्षित शेल्टेर होम में रखे जाने का अनुरोध करता है तो :
    - » यदि पीड़ित व्यक्ति को किसी सुरक्षित शेल्टेर होम में रखने से संबंधित रिपोर्ट की प्रतिलिपि निम्नलिखित को दी जानी चाहिए
    - » पुलिस स्टेशन (जिनके क्षेत्राधिकार में घरेलू हिंसा घटी हो)
    - » मैजिस्ट्रेट

पीड़ित व्यक्ति को यदि चोट लगी हो तो मेडिकल सुविधा की व्यवस्था करने में सहायता प्रदान करना

- » पुलिस स्टेशन (जिनके क्षेत्राधिकार में घरेलू हिंसा घटी हो)
- » मैजिस्ट्रेट

- पीड़ित व्यक्ति और किसी बच्चे के लिए परिवहन सुविधा की व्यवस्था करने में सहायता प्रदान करना
    - » चिकित्सा सुविधा के लिए
    - » शेल्ट्र होम के लिए

यह सुनिश्चित करना कि धारा 20 के अंतर्गत मौद्रिक राहत के आदेश का पालन किया जाता है :

निम्ननलिखित के संबंध में सेवा प्रदाताओं की सूची रखना:

- कानूनी सहायता
- परामर्श देना
- शेल्ट्र होम
- चिकित्सा सुविधाएं

पीड़ित व्यक्ति से परामर्श करके एक “संरक्षा योजना” तैयार करें जिसमें उन उपायों का ब्यौरा दिया जाए जिनमें पीड़ित व्यक्ति को आगे अधिक हिंसा का शिकार होने से बचाया जा सके।

प्रश्न : सुरक्षा अधिकारी के अन्य कर्त्तव्य और कार्य क्या हैं ?[14]

- यदि मैजिस्ट्रेट द्वारा लिखित में निर्देश दिए जाएं तो सुरक्षा अधिकारी :
- यदि अदालत को पीड़ित व्यक्ति के लिए एक पक्षीय तौर पर अन्तरिम राहत प्रदान करने के संबंध में स्पष्टीकरण अपेक्षित हो और वह ऐसी होम विजिट के लिए आदेश पारित करे।
- शेयर होल्डर परिसर में होम विजिट करेगा और प्रारंभिक जांच करेगा।
- समुचित जांच करने के बाद परिलब्धियों, परिसंपत्तियों, बैंक अकाउंट अथवा अन्यन प्रलेखों के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करेगा।
- व्यक्तिगत सामान, जिससे पीड़ित व्यक्ति के उपहार, आभूषण शामिल हैं और पीड़ित व्यक्ति का शेयर हाउस होल्डर को उसे प्रदान करना
- पीड़ित व्यक्ति को बच्चे की कस्टडी पुन: प्राप्त् करने और उसके पर्यवेक्षण में उनसे मिलने का अधिकार प्राप्त करने में मदद करना।
- इन आदेशों को लागू कराने में अदालत की सहायता करना।
- घरेलू हिंसा में इस्तेमाल किए गए हथियारों को जब्त कराने में पुलिस की सहायता लेना।

[14] नियम 10

प्रश्न : सेवा प्रदाता कौन है?[15]

सेवा प्रदाता का आशय है :

- कोई ऐसी स्वैच्छिक एसोसिएशन जो सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हो
- कोई ऐसी कम्पनी, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है
- इस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी सहायता, चिकित्सा, वित्तीय और अन्य् सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सेवा प्रदाता पंजीकृत किए जाएंगे।

सेवा प्रदाता के कर्त्तव्य[16]

सुरक्षा अधिकारी और सेवा प्रदाताओं के सदस्य सरकारी सेवक होंगे

सेवा प्रदाता के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे :

- यदि पीड़ित व्यक्ति घरेलू घटना रिपोर्ट रिकार्ड करने का अनुरोध करता है[17]
- घरेलू दुर्घटना रिपोर्ट की प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जाएगी :
  - सुरक्षा अधिकारी (जिनके क्षेत्राधिकार में घरेलू हिंसा घटी हो)
  - मैजिस्ट्रेट (जिनके क्षेत्राधिकार में घरेलू हिंसा घटी हो)
- पीड़ित व्यक्ति की मेडिकल दृष्टि से जांच करना :
  *मेडिकल की प्रति निम्नलिखित को भेजना :
  - पुलिस स्टेशन (जिनके क्षेत्राधिकार में घरेलू हिंसा घटी हो)
  - मैजिस्ट्रेट (जिनके क्षेत्राधिकार में घरेलू हिंसा घटी हो)
- यह सुनिश्चित करना कि पीड़ित व्यक्ति यदि चाहे तो उसे शेल्टर मुहैया कराना:
  *पीड़ित व्यक्ति को शेल्टर होम भेजे जाने की रिपोर्ट निम्नलिखित को भेजी जानी चाहिए:
  - पुलिस स्टेशन (जिनके क्षेत्राधिकार में घरेलू हिंसा घटी हो)
  - मैजिस्ट्रेट (जिनके क्षेत्राधिकार में घरेलू हिंसा घटी हो)

शेल्टर होम/ चिकित्सा सुविधाएं

शेल्टर होम	चिकित्सा सुविधाएं
इसका आशय किसी ऐसे शेल्टर होम से है, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।	इसका आशय किसी ऐसी चिकित्सा सुविधा से है, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

प्रश्न. : शेल्टर होम्स के क्या कर्त्तव्य् हैं ?[18]

यदि निम्नलिखित द्वारा पीड़ित व्यक्ति को शेल्टर मुहैया कराने के लिए अनुरोध किया जाता है तो शेल्टर होम का यह कर्त्तव्य है कि वह पीड़ित व्यक्ति को शेल्टर मुहैया करे:

- पीड़ित व्यक्ति
- सुरक्षा अधिकारी
- सेवा प्रदाता

प्रश्न. : चिकित्सा सुविधाओं के क्या कर्त्तव्य हैं ?[19]

यदि निम्नलिखित द्वारा पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए अनुरोध किया जाता है तो चिकित्सा सुविधा का यह कर्त्तव्य् है कि वह पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा मुहैया करे:

- पीड़ित व्यक्ति
- सुरक्षा अधिकारी
- सेवा प्रदाता

प्रश्न. पीड़ित व्यक्ति शेल्टर सुविधा कैसे प्राप्त कर सकता है?[20]

- पीड़ित व्यक्ति या सुरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदाता शेल्टर होम के प्रभारी को लिखित आवेदन पत्र देगा।

[15] नियम 11
[16] धारा 10
[17] नियम 5
[18] धारा 6
[19] धारा 7

- जब अनुरोध सुरक्षा अधिकारी द्वारा किया जाए तो उसके साथ धारा 9 या 10 के अंतर्गत पंजीकृत घरेलू घटना रिपोर्ट की प्रति लगाई जानी चाहिए।

चाहे घरेलू हिंसा रिपोर्ट दर्ज न भी की गई हो तब भी शेल्टर होम पीड़ित व्यक्ति को शेल्टर देने से मना नहीं कर सकते हैं

यदि पीड़ित व्यक्ति चाहे कि निम्नलिखित को उजागर नहीं किया जाना चाहिए तो शेल्टर होम उजागर नहीं करेगा :

- उसकी पहचान अथवा
- जिसके विरूद्ध शिकायत की गई है उसे इसके बारे में नहीं बताएगा।

प्रश्न. पीड़ित व्यक्ति चिकित्सा सुविधा किस प्रकार प्राप्त कर सकता है?[21]

- पीड़ित व्यक्ति अथवा सुरक्षा अधिकारी अथवा सेवा प्रदाता चिकित्सा् सुविधा के प्रभारी व्यक्ति को लिखित आवेदन पत्र देगा।
- जब अनुरोध सुरक्षा अधिकारी द्वारा किया जाए तो उसके साथ घरेलू घटना रिपोर्ट की प्रतिलिपि भी लगाई जानी चाहिए।

केवल इस आधार पर कि उसने घरेलू घटना रिपोर्ट दायर नहीं की है, चिकित्सा: सुविधा चिकित्सा सहायता अथवा जांच करने से मना नहीं कर सकता है।

- यदि घरेलू घटना रिपोर्ट दायर नहीं की गई है तो चिकित्सा सुविधा के प्रभारी को फार्म 1 में घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए और उसे सुरक्षा अधिकारी को भेज देना चाहिए
- पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा जांच की रिपोर्ट नि:शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है।

राहत कैसे प्राप्त करें

प्रश्न. घरेलू हिंसा की शिकार महिला को राहत का दावा करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए?

निम्नलिखित व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकते हैं :

- पीड़ित व्यक्ति अथवा
- सुरक्षा अधिकारी अथवा
- पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति

सुनवाई के लिए समय-सीमा

- मैजिस्ट्रेट आवेदन मिलने के 3 दिन के भीतर सुनवाई की पहली तारीख तय करेगा
- मैजिस्ट्रेट को प्रयास करना चाहिए कि सुनवाई की पहली तारीख से 60 दिन के भीतर प्रत्येक आवेदन का निपटान कर दिया जाता है।

राहत क्या है

कोई पीड़ित व्यक्ति निम्नलिखित प्रकार की राहत की मांग कर सकता है:

- सुरक्षा आदेश
- आर्थिक राहत
- कस्टिडी आदेश
- आवास आदेश
- क्षतिपूर्ति आदेश

प्रश्न. सुरक्षा आदेश क्या हैं?[22]

मैजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी को सुनने के बाद जब प्रथम दृष्टतया संतुष्ट हो कि घरेलू हिंसा हुई है अथवा होने की संभावना है तो सुरक्षा आदेश जारी कर सकता है और वह प्रतिवादी के लिए निम्नलिखित कार्य मना कर सकता है :

- घरेलू हिंसा का कोई कार्य करना
- घरेलू हिंसा में सहायता करना अथवा उसका समर्थन करना

[20] नियम 16
[21] नियम 17
[22] धारा 18

- पीड़ित व्यक्ति का कार्यस्थल अथवा किसी अन्य स्थल, जहाँ वह अक्सर जाती है, पर जाना
- पीड़ित व्यक्ति से किसी भी रूप में संपर्क करने का प्रयास करना (व्यक्तिगत तौर पर, मौखिक तौर पर, लिखित तौर पर, इलैक्ट्रॉनिकली, टेलीफ़ोन के ज़रिए)
- उस स्कूल में जाना, जिसकी पीड़ित व्यक्ति बच्ची हो
- कोई परिसंपत्ति, बैंक के लॉकर, बैंक खाते स्त्री धन, जिन्हें पीड़ित व्यक्ति और प्रतिवादी द्वारा संयुक्त रूप से अथवा प्रतिवादी द्वारा अलग से उपयोग किया जाता हो अथवा उनके स्वामित्व में हो, को अलग-अलग करना
- मैजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी ऐसी अन्य् सम्पत्ति, जो संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग उनके स्वामित्व में हो
- पीड़ित व्यक्ति के आश्रितों, रिश्तेदारों अथवा किसी अन्य ऐसे व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति की सहायता कर रहा हो, के साथ हिंसा करना

नोट: मैजिस्ट्रेट सीधे भी पुलिस अधिकारी को सुरक्षा आदेश का कार्यान्वयन कराने में सहायता करने के लिए निदेश दे सकते हं

प्रश्न. आवास आदेश क्या हैं ?[23]

यदि मैजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट हो जाए कि घरेलू हिंसा हुई है तो वह निम्नलिखित आवास आदेश पारित कर सकता है:

1) शेयर वाले ऐसे घर को बेचने, उसमें परिवर्तन करने से रोकना, चाहे शेयर वाले घर में प्रतिवादी का कानूनी अथवा इक्विबल अधिकार हो या न हो
   » प्रतिवादी को शेयर वाले घर से दूर रहने का निर्देश देना। यह निर्देश महिला के विरूद्ध पारित नहीं किया जा सकता है
   » शेयर वाले घर के ऐसे भाग में जहाँ पीड़िता रहती हो, में प्रतिवादी अथवा उसके रिश्तेदार का जाना प्रतिबंधित करना
   » प्रतिवादी को शेयर वाले घर को विभाजित करने अथवा उसे बेचने से रोकना
   » शेयर वाले घर में प्रतिवादी को अपने अधिकारों का परित्याग करने से रोकना
   » पीड़ित व्यक्ति को वैकल्पिक आवास मुहैया कराना अथवा वैकल्पिक आवास के किराए का भुगतान करना

पार्टियों की वित्तीय जरूरतों और संसाधनों को देखते हुए मैजिस्ट्रेट प्रतिवादी पर किराए तथा अन्य भुगतान की जिम्मेदारी डाल सकता है।

ख – पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके बच्चे के बचाव अथवा सुरक्षा के लिए मैजिस्ट्रेट अतिरिक्त शर्तें निर्धारित कर सकता है अथवा कोई अन्य निर्देश पारित कर सकता है।

ग - घरेलू हिंसा करने से रोकने के लिए मैजिस्ट्रेट प्रतिवादी से एक बॉन्ड जमानतियों अथवा बिना जमानितों के साथ) निष्पादित करने के लिए कह सकता है।

शीर्षक क, ख और ग के अंतर्गत आदेश पारित करते समय मैजिस्ट्रेट आदेश पारित कर पुलिस अधिकारी को निम्नलिखित निर्देश दे सकते हैं :

- मैजिस्ट्रेट प्रतिवादी को पीड़ित व्यक्ति की निम्नलिखित की कस्टडी लौटाने का निर्देश दे सकता है :
- उसका स्त्री धन
- उसके हक वाली कोई अन्य सम्पत्ति अथवा मूल्यवान सेक्यूरिटी[24]

प्रश्न. अदालती आदेश में क्या आर्थिक राहत प्रदान की जा सकती है?[25]

घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप होने वाले खर्च और हानि को पूरा करने के लिए मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को निर्देश दे सकता है कि वह पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके बच्चों को आर्थिक राहत प्रदान करे।

इसमें निम्नलिखित शामिल है, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:

- आय की हानि
- चिकित्सा व्यय
- पीड़ित व्यक्ति के नियंत्रण वाली किसी सम्पत्ति को बर्बाद करने अथवा क्षति पहुंचाने, विध्वंस करने अथवा उसे हटाने के कारण होने वाली हानि

[23] धारा 19
[24] http://delhiadvocate.tripod.com/domestic_violence_act3.html Adapted from http://www.divorcelawyersmumbai.com/Domes- tic_violence24.html से लिया गया
[25] धारा 20

- पीड़ित व्यक्ति और उसके बच्चे का भरण-पोषण
- आर्थिक राहत न्यायोचित, उपयुक्त और पीड़ित व्यक्ति के जीवन स्तर के अनुरूप होगी।

मामले के स्वरूप और परिस्थितियों को देखते हुए मैजिस्ट्रेट को भरण-पोषण के लिए उपयुक्त एकमुश्त। भुगतान अथवा मासिक भुगतान का आदेश जारी करने का अधिकार है। आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रतिवादी द्वारा पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक राहत का भुगतान किया जाएगा।

- मैजिस्ट्रेट आर्थिक राहत के आदेश की प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजेगा :
  - » आवेदन में उल्लिखित पार्टियों को
  - » पुलिस स्टेशन (जिसके क्षेत्राधिकार में प्रतिवादी रहता है)

प्रश्न. यदि प्रतिवादी भुगतान करने में विफल रहता है तो क्या होगा ?

यदि प्रतिवादी भुगतान करने में विफल रहता है तो मैजिस्ट्रेट :

- » प्रतिवादी के नियोक्त अथवा
- » प्रतिवादी के देनदार को पीड़ित व्यक्ति को सीधे भुगतान करने का निर्देश दे सकता है

मजदूरी अथवा वेतन अथवा प्रतिवादी को खाते में देय ऋण के भाग को अदालत में जमा कराना।

प्रश्न. कस्टडी आदेश क्या हैं ?[26]

सुरक्षा आदेश अथवा किसी अन्य राहत के आवेदन की सुनवाई करते समय मैजिस्ट्रेट किसी भी समय किसी बच्चे अथवा बच्चों की अस्थाई कस्टडी निम्नलिखित को दे सकता है :

- पीड़ित व्यक्ति अथवा
- उसकी ओर से आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को

यदि आवश्यक हो तो मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिवादी को बच्चे अथवा बच्चों से मिलने के अधिकार को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

यदि मैजिस्ट्रेट की राय में प्रतिवादी का मिलना बच्चे अथवा बच्चों के लिए हानिकारक होगा तो वह इस प्रकार मिलने को मना करेगा।

प्रश्न. क्षतिपूर्ति आदेश क्या हैं ?[27]

चोट पहुंचाने, जिसमें मानसिक यातना अथवा भावनात्मक दर्द दिया जाना भी शामिल है, के लिए मैजिस्ट्रेट प्रतिवादी को पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति अथवा नुकसान के लिए मुआवजा देने का निर्देश दे सकता है।

प्रश्न. सुरक्षा आदेश की अवधि कितनी होता है?[28]

सुरक्षा आदेश तब तक लागू रहेगा, जब तक पीड़ित व्यक्ति उसे निरस्ति करने के लिए आवेदन नहीं कर देता।

प्रश्न. क्या मैजिस्ट्रेट एकपक्षीय तौर पर अंतरिम आदेश जारी कर सकता है?

हाँ, मैजिस्ट्रेट को निम्नलिखित प्रदान करने की शक्ति है :

- **अंतरिम आदेश**[29] जैसा वह सही और उपयुक्त समझे
- **एकपक्षीय आदेश**[30] यदि वह प्रथम दृष्टीया की इस बात से संतुष्ट हो कि प्रतिवादी :
  - » घरेलू हिंसा कर रहा है
  - » उसने घरेलू हिंसा की है
  - » उसके द्वारा घरेलू हिंसा करने की संभावना है

आपात स्थिति

प्रश्न. आपातस्थिति के मामलों में कौन से कदम उठाए जाने की जरूरत है?[31]

यदि सुरक्षा अधिकारी अथवा सेवा प्रदाता को निम्न लिखित से ई-मेल अथवा

[26] धारा 21
[27] धारा 22
[28] धारा 25
[29] धारा 23 (1) - सुनवाई, जांच, निर्णायक आदेश के लिए लंबित ये कोर्ट के अस्थायी आदेश हैं
[30] धारा 23 (2) - बिना दूसरी साइड की सुनवाई के ये एक पार्टी के अनुरोध पर आधारित है

टेलीफोन आदि के माध्यम से घरेलू हिंसा होने अथवा घरेलू हिंसा की संभावना की “विश्वसनीय सूचना” प्राप्त होती है :

- पीड़ित व्यक्ति
- किसी अन्य व्यक्ति से

तो इस प्रकार की आपात स्थिति में

- पुलिस की तत्काल सहायता प्राप्त करना
- पुलिस, सुरक्षा अधिकारी अथवा सेवा प्रदाता के साथ घटनास्थल पर जाएगी और घरेलू हिंसा घटना रिपोर्ट दर्ज करेगी
- बिना विलंब किए घरेलू हिंसा रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को भेजेगी ताकि समुचित आदेश प्राप्त किए जा सकें

स्पष्टीकरण अत: आपात स्थिति में पुलिस घरेलू हिसा रिपोर्ट दर्ज कर सकती है।

शिकायत निवारण तंत्र

पीडब्यूडीवीए के अंतर्गत निम्नलिखित स्थलों पर आवेदन दायर किया जा सकता है;

- जहां पीड़ित व्यक्ति स्थाई अथवा अस्थाई तौर पर रहती हो, नौकरी करती हो, व्यापार करती हो।
- प्रतिवादी रहता हो, नौकरी करता हो, व्यापार करता हो
- जहां घरेलू हिंसा घटित हुई हो (कारण घटित हुआ हो)

प्रश्न. क्या किसी अपील को दायर करने की कोई समय-सीमा है?[32]

जी हां, अपील 30 दिन के भीतर की जानी होती है।

प्रश्न. किस अदालत में अपील दायर की जा सकती है?[33]

सेशन कोर्ट में अपील दायर की जानी होती है।

PWDVA के अंतर्गत दिया गया कोई भी आदेश पूरे भारत में लागू होगा

सुरक्षा आदेशों का उल्लंघन

प्रश्न. सुरक्षा आदेश अथवा अंतरिम सुरक्षा आदेश के उल्लंघन के मामलों में कोई पीड़ित व्यक्ति क्या कर सकती है?[34]

पीड़ित व्यक्ति के सामने 2 विकल्प हैं। वह

- सुरक्षा अधिकारी को रिपोर्ट कर सकती है अथवा
- मैजिस्ट्रट अथवा पुलिस को सीधे शिकायत कर सकती है

पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा अधिकारी को लिखित रिपोर्ट देनी चाहिए और उसमें हस्ताक्षर करने चाहिए।

सुरक्षा अधिकारी सुरक्षा आदेश की प्रतिलिपि के साथ शिकायत पत्र को समुचित आदेश दिए जाने के लिए मैजिस्ट्रेट को भेजेगा

- सुरक्षा आदेश का उल्लंघन किए जाने के बाद यदि किसी भी समय पीड़ित व्यक्ति सुरक्षा अधिकारी की सहायता मांगता है तो सुरक्षा अधिकारी :
- पुलिस की सहायता लेकर उसका तत्काल बचाव करेगा - पुलिस में रिपोर्ट दायर करने के लिए पीड़ित व्यक्ति की सहायता करेगा

ध्यान रहे :

पुलिस का कर्त्तव्य है कि वह शिकायत पर संज्ञेय अपराध के तौर पर कार्रवाई करे

सुरक्षा आदेश अथवा अंतरिम आदेश के उल्लंघन की सूचना तत्काल पुलिस को दी जानी चाहिए।

[31] नियम 4
[32] धारा 29
[33] धारा 29
[34] नियम 15

प्रश्न. प्रतिवादी द्वारा सुरक्षा आदेश का उल्लंघन किए जाने पर क्या जुर्माना लगाया जाता है?[35]

सुरक्षा आदेश अथवा अंतरिम सुरक्षा आदेश का उल्लंघन किया जाना एक अपराध है। यह संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है।

पीड़ित व्यक्ति के बयान पर ही अदालत यह निर्णय कर सकता है कि आरोपित व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया है।[36]

प्रतिवादी को एक वर्ष तक सजा (साधारण अथवा कड़ी) अथवा ₹ 20,000 तक का जुर्माना अथवा दोनों सजा दी जाएगी।[37]

प्रतिवादी द्वारा अथवा उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अदालत के आदेशों को लागू करने का किसी प्रकार का विरोध किया जाना सुरक्षा आदेश अथवा अंतरिम सुरक्षा आदेश का उल्लंघन करना है

सुरक्षा आदेश अथवा अंतरिम सुरक्षा आदेश के उल्लंघन के लिए आरोपों को तय करते समय मैजिस्ट्रेट निम्नलिखित के लिए भी आरोप तय कर सकता है:[38]

- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए के अंतर्गत
- दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत
- भारतीय दण्ड संहिता की किसी अन्य धारा के अंतर्गत

प्रश्न. क्या हमें मजिस्ट्रेट का आदेश प्राप्त करने के लिए पैसा देने की आवश्यकता होती है?[39]

जी नहीं, मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाने वाला कोई भी आदेश नि:शुल्क दिया जाएगा।

परामर्श देना

प्रश्न. क्या परामर्श देने के संबंध में कोई प्रावधान है?[40]

जी हां, कार्यवाही के किसी चरण में मैजिस्ट्रेट प्रतिवादी अथवा पीड़ित व्यक्ति को परामर्श के लिए भेज सकता है।

परामर्श अलग-अलग या संयुक्त रूप से की जा सकती है।

मैजिस्ट्रेट कार्यवाही के किसी चरण में परिवार कल्याण विशेषज्ञों की भी सहायता ले सकता है।[41]

प्रश्न. अदालत में कार्यवाही किस प्रकार चलाई जाएगी ?[42]

अदालत में कार्यवाही मैजिस्ट्रेट के व्यक्तिगत कक्ष (इन कैमरा) में चलाई जाएगी, यदि:

- मैजिस्ट्रेट को यह लगे कि मामले की परिस्थितियों में ऐसा किया जाना आवश्यक है और
- पार्टियां अनुरोध करें

प्रश्न. क्या किसी महिला को किसी और लोगों द्वारा भी शेयर किए जाने वाले घर में रहने का अधिकार है?[43]

जी हां, घरेलू रिश्तो वाली प्रत्येक महिला को और लोगों द्वारा भी शेयर किए जाने वाले किसी भी घर में रहने का अधिकार है, चाहे उस शेयर किए जाने वाले घर में उसका अधिकार/हकनामा/हितकारी दिलचस्पी हो या न हो।

प्रतिवादी द्वारा पीड़ित व्यक्ति से शेयर किए जाने वाले घर अथवा उसके किसी भाग को खाली नहीं कराया जाएगा अथवा उसे उनका इस्तेमाल करने से मना नहीं किया जाएगा।

क्रूरता से संबंधित कानून (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-ए)

प्रश्न. भारतीय दण्ड संहिता में क्रूरता को कैसे परिभाषित किया गया है?

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए को लागू करने के लिए हमें इस धारा के

[35] धारा 32 (1)
[36] धारा 32 (2)
[37] धारा 31 (1)
[38] धारा 31 (3)
[39] धारा 24
[40] धारा 14
[41] धारा 15
[42] धारा 16 : इन कैमरा का आशय "प्राइवेट में" से है। यह उन अदालती मामलों में आम जनता को आने की अनुमति नहीं होती है। इस प्रकार की सुनवाई में पब्लिक गैलरियां खाली करा दी जाती है और दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। केवल न्यायाधीश, पार्टियां तथा वकील और गवाह तथा अदालत का क्लर्क कोर्ट रूम में रहता है।
[43] धारा 17

अनुसार क्रूरता को समझना होगा, जिसकी दो व्याख्याएं हैं :

- **व्याख्या ए** तीन विशिष्ट स्थितियां शामिल हैं :
  - » महिला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना
  - » गंभीर चोट पहुंचाना
  - » उसके जीवन, किसी अंग अथवा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाना
- **व्याख्या बी**
  - » दबाव डालकर उत्पीड़न करना, टार्चर करना, धमकी देना अथवा महिला या उसके रिश्तेदारों पर धन या संपत्ति देने के लिए दबाव डालना।

दहेज हत्या से संबंधित कानून (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 बी)

दहेज हत्या के प्रावधानों को सिद्ध करने के लिए आधारभूत अवयव निम्न प्रकार हैं:

- महिला की मृत्यु जलने अथवा घातक चोट लगने से हुई हो अथवा उसकी अस्वाभाविक मृत्यु हुई हो
- उसकी मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो
- महिला के साथ उसके पति या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता का व्यवहार किया जाता हो
- दहेज की मांग किए जाने के कारण क्रूरता अथवा उत्पीड़न किया गया हो

दण्ड : 7 वर्ष से आजीवन कारावास

जब उपर्युक्त कारण हों तो पति अथवा उसके रिश्तेदार जिसने महिला के साथ क्रूरता अथवा उत्पीड़न किया हो, को धारा 304बी के तहत दोषी माना जा सकता है।

नोट : स्वाभाविक अथवा दुर्घटना मृत्यु की संभावना को अस्वीकार करना होगा

प्रश्न. यदि किसी महिला का दहेज के लिए उत्पीड़न किया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है तो कानून की कौन-सी धारा लागू होगी ?

1) दोषी को दण्डित करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 को लागू किया जाएगा।

दहेज से संबंधित कानून

दहेज निषेध अधिनियम, 1961, 1.7.1961 से लागू है। अब भी हम देख सकते हैं कि कानून होने के बाद भी इस बुराई को समाप्त करने में यह सहायक नहीं हुआ है।

प्रश्न. दहेज क्या है?

धारा 2 के अनुसार दहेज का मतलब है कोई सम्पत्ति अथवा मूल्यहवान प्रतिभूति दी गई अथवा दिए जाने के लिए सहमत होना (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष):

1) एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को विवाह के संबंध में दी जाने वाली अथवा
2) माता-पिता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह से संबंधित पक्ष को या किसी अन्य व्यक्ति को उक्त पक्षों के विवाह के संबंध में विवाह के अवसर पर या उससे पहले या विवाह के बाद किसी समय दी जाने वाली।

इसमें जिनके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) लागू होता है, उनके मामले में दहेज अथवा मेहर शामिल नहीं है।

प्रश्न. दहेज लेने अथवा देने के संबंध में दण्ड क्यो है ?

धारा 3 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दहेज देता है या लेता है या दहेज देने या लेने में सहायता करता है तो यह अपराध है।

© Breakthrough/India

दण्ड : 5 वर्ष की जेल और ₹ 15,000 का जुर्माना या इस प्रकार लिए गए दहेज के मूल्य की रकम, जो भी ज्यादा हो।

धारा 5 के अनुसार दहेज देने और लेने का कोई करार अवैधानिक या अमान्य साधन है। अवैधानिक का आशय कोई कानूनी ताकत या बाध्यकारी प्रभाव का न होना है।

प्रश्न. उपहार देना कब अपराध नहीं होता है?

यह तब अपराध नहीं है जब :

- विवाह के समय बिना मांग किए दुलहन और दुल्हे को दिया गया उपहार। इस प्रकार के उपहारों की एक सूची बनाई जाती है।

प्रश्न. दहेज की मांग करने पर क्यो जुर्माना लगाया जाता है ?

धारा 4 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दुलहन अथवा दुल्हे के माता-पिता अथवा रिश्तेदार अथवा संरक्षक से प्रत्यक्ष: या अप्रत्यक्षत: किसी प्रकार के दहेज की कोई मांग करता है तो यह एक अपराध है।

दण्ड : 6 माह-2 वर्ष का कारावास और ₹ 10,000 का जुर्माना

विज्ञापनों पर प्रतिबंध -

यदि कोई व्यक्ति -

- अपने पुत्र अथवा पुत्री अथवा किसी अन्य रिश्तेदार के विवाह हेतु विचार किए जाने के लिए किसी समाचार पत्र, पत्रिकाओं, जर्नल अथवा और किसी अन्य् मीडिया के माध्यम से अपनी संपत्ति अथवा धन अथवा दोनों में और अपने व्यापार अथवा अन्य मुनाफे में हिस्सा देने के लिए कोई घोषणा करना।
- किसी विज्ञापन को मुद्रित करना, प्रकाशित करना अथवा परिपत्रित करना।

दण्ड. : 6 माह – 5 साल का कारावास अथवा ₹ 15,000/- का जुर्माना।

पत्नी अथवा उसके उत्तराधिकारियों के लाभ के लिए दहेज :

- उस महिला को छोड़कर जिसके विवाह के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा दहेज प्राप्त किया गया हो तो वह व्यक्ति उसे महिला को हस्तान्तरित करेगा :
  - » विवाह से पहले प्राप्त दहेज – विवाह की तारीख से 3 माह के भीतर अथवा
  - » विवाह के समय अथवा विवाह के बाद प्राप्त दहेज प्राप्त करने की तारीख के बाद 3 माह के भीतर अथवा
  - » जब महिला नाबालिग हो उस समय प्राप्त दहेज-उसके 18 वर्ष का हो जाने के 3 माह के भीतर

और जब तक इस प्रकार का हस्तान्तरण नहीं हो जाता तब तक वह व्यक्ति उस महिला के लाभ के लिए इसे एक ट्रस्ट में रखेगा

- किसी ऐसी महिला, जो किसी सम्पत्ति की हकदार होती है, की इसे प्राप्त करने से पहले मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके उत्तराधिकारी इसके धारक व्यक्ति से उसे प्राप्त करने के हकदार होंगे।

यदि किसी महिला की अस्वाभाविक मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर होती है तो इस प्रकार की सम्पत्ति का हस्ता्न्तरण :

  - » यदि उसका कोई बच्चा न हो तो उसके माता-पिता को किया जाएगा
  - » यदि उसके बच्चे हो तो उसके बच्चों को किया जाएगा और जब तक इस प्रकार का हस्तान्तरण नहीं हो जाता तब तक उसके बच्चों के लिए इसे एक ट्रस्ट में रखा जाएगा।

- यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर किसी सम्पत्ति का हस्ता्न्तरण करने में विफल रहता है तो उसे 6 माह का कारावास दिया जा सकता है, परन्तु इसे दस हजार रुपए का जुर्माना अथवा दोनों भी किया जा सकता है।[44]

प्रश्न. इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के संबंध में मुकदमा किस

[44] http://www.vakilno1-com//bareacts/dowryprohibitionact/dowryprohibitionact.html

अदालत में चलाया जा सकता है??

उत्तर. धारा 7 (1) (ए) के अनुसार केवल मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट अथवा फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के मुकदमों की सुनवाई करेंगे।

प्रश्न. अदालत इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान कर ले सकती है?

उत्तर. अदालत किसी अपराध का संज्ञान :-

- अपनी स्वयं की जानकारी पर
- ऐसे तथ्यों, जिससे इस प्रकार का अपराध किया गया हो, की पुलिस रिपोर्ट के आधार पर
- पीड़ित व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्ति के माता-पिता या रिश्तेदार द्वारा शिकायत किए जाने पर
- किसी मान्यताप्राप्त संस्थान अथवा संगठन द्वारा

नोट : धारा 8 (2) के अनुसार प्रत्येक अपराध गैर- जमानती और नॉन-कम्पाउन्डेबल है।

सिद्ध करने का उत्तरदायित्व :

जहां किसी पर दहेज लेने अथवा दहेज लेने में सहायता करने के लिए मुकदमा चलाया जाता है, यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी उस पर है कि उसने अपराध नहीं किया है।

दहेज लेने से रोकने वाले अधिकारी

धारा 8 बी के अनुसार राज्य सरकारों को दहेज रोकने वाले अधिकारियों की नियुक्ति करनी होती है।

उपहारों की सूची रखने से संबंधित कानून

दहेज निषेध (दुलहन और दुल्हे को दिए गए उपहारों की सूची रखना) नियम, 1985

- दुलहन विवाह के समय उसे दिए गए उपहार की सूची बनाएगी
- दुल्हा विवाह के समय उसे दिए गए उपहार की सूची बनाएगा
- उपहारों की प्रत्येक सूची को :
  - विवाह के समय या विवाह के तत्काल बाद तैयार किया जाएगा
  - यह लिखित में तैयार किया जाएगा
  - इन पर दुलहन और दुल्हा दोनों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे
- प्रत्येक सूची में निम्नलिखीत का उल्लेख अवश्य किया जाएगा :
  - प्रत्येक उपहार का संक्षिप्त ब्यौरा
  - उपहार की अनुमानित लागत
  - उस व्यक्ति का नाम, जिसने उपहार दिया हो
  - जिस व्यक्ति ने उपहार दिया है उसका और दुलहन अथवा दुल्हे के साथ रिश्ते का ब्यौरा

स्पष्टीकरण 1- यदि दुलहन या दुल्हा हस्ताक्षर करने में समर्थ न हो तो उन दोनों के लिए सूची को पढ़ने के बाद उनके अंगूठे का निशान लिया जाएगा

इस पर उस व्यक्ति द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाए, जिसने सूची में उल्लिखित विवरण पढ़ा है।

दुलहन अथवा दुल्हा किसी एक अथवा दोनों सूचियों में अपने किसी रिश्तेदार अथवा विवाह के समय उपस्थित किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर सकते हैं।

यौन अपराध पर कानून

प्र. भारतीय दंड संहिता में बलात्कार को किस तरह से परिभाषित किया गया है?

उ. बलात्कार के अपराध के बारे में भा.दं.सं के अध्याय XVI में बताया गया

© Breakthrough/India

है। यह मानव शरीर को प्रभावित करने वाला अपराध है। 'बलात्कार' को धारा 375 के तहत परिभाषित किया गया है। बाद में धारा 375 और 376 में संशोधन किए गए और इनके तहत कुछ नई धाराएं अर्थात् 376-ए, 376-बी, 376-सी, और
376-डी जोड़ी गई हैं।

भारतीय दंड संहिता, की धारा 375 बलात्कार को निम्नानुसार परिभाषित करती है

पुरुष के उस कृत्य को बलात्कार माना जाएगा जब वह:

- महिला की योनि, मुख, मूत्रमार्ग या मलमार्ग में अपना लिंग (किसी भी सीमा तक) पेनिट्रेट करता है या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कृत्य करवाता है; या
- महिला की योनि, मुख, मूत्रमार्ग या मलमार्ग में कोई वस्तु या अपने शरीर का कोई अंग (जो लिंग नहीं है) (किसी भी सीमा तक) पेनिट्रेट करता है या उससे अपने साथ या किसी अन्य् व्यक्ति के साथ ऐसा कृत्य करवाता है; या
- महिला के शरीर के किसी भाग को इस तरह से नियंत्रित करता है, जिससे महिला की योनि, मूत्रमार्ग, मलमार्ग या शरीर के किसी अन्य हिस्से में पेनिट्रेशन होता है या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कृत्य करवाता है; या
- निम्नलिखित 8 विवरणों में से किसी भी एक के तहत अपने मुख का इस्तेमाल महिला की योनि, मलमार्ग या मूत्रमार्ग के लिए करता है या उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कृत्य करवाता है:-
    - » उसकी सहमति के बगैर
    - » उसकी इच्छा के विरूद्ध
    - » जब मृत्यु या चोट का भय दिखाकर उसकी सहमति ली गई हो
    - » जब उसकी सहमति उसका पति बनकर ली गई हो, जबकि वह उसका पति नहीं है
    - » उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह किसी नशीले पदार्थ या शराब के नशे में हो
    - » जब वह पागल हो या दिमाग से कमजोर हो और वह यह समझने में असमर्थ हों कि पुरुष क्या कर रहा है
    - » सहमति या बगैर सहमति के जब उसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो
    - » जब वह सहमति देने में असमर्थ हो

भा.दं.सं की धारा 376: सजा : RI (सश्रम कारावास) 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना

प्र. हिरासत में बलात्कार क्या है?

जो कोई भी हों :

- पुलिस अधिकारी के रूप में बलात्कार करना-
    - » पुलिस स्टेशन की सीमाओं के भीतर, जिसके लिए वह पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है या
    - » किसी स्टेशन हाउस के परिसर में या
    - » उक्त पुलिस अधिकारी या उस पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में या
- लोक सेवक के रूप में, उस लोक सेवक या उस लोक अधिकारी के अधीनस्थ अधिकारी की अभिरक्षा में बलात्कार होता है या
- केन्द्र या राज्य, सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बल का सदस्य उक्त क्षेत्र में बलात्कार करता है या
- जेल, यातना गृह या उस समय लागू किसी कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित अभिरक्षा के किसी अन्य स्थान या महिला या बाल संस्थान का कर्मचारी या प्रबंधन ऐसी जेल, यातना गृह, स्थान या संस्थान के कैदी/निवासी के साथ बलात्कार करता है या
- अस्पताल का कोई प्रबंधन कर्मी या कर्मचारी उक्त अस्पताल में महिला के साथ बलात्कार करता है या
- महिला के प्रति भरोसे या प्राधिकारी की हैसियत से रिश्तेदार, संरक्षक, अध्यापक या कोई व्यक्ति ऐसी महिला से बलात्कार करता है या

[45] http://www.advocatekhoj.com/library/bareacts/criminallawamendment/9.php से लिया गया
http://www.lawyersupdate.co.in/LU/19/1157.asp से लिया गया

- सांप्रदायिक या जातीय हिंसा के दौरान बलात्कार करता है या
- महिला के गर्भवती होने की जानकारी होते भी बलात्कार करता है या
- 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार करता है;
- सहमति देने में अक्षम महिला के साथ बलात्कार करता है या
- महिला के ऊपर नियंत्रण और प्रभुत्व की स्थिति में होते हुए ऐसी महिला के साथ बलात्कार करना या
- मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग महिला के साथ बलात्कार करना या
- बलात्कार करते समय महिला के शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाना, काटना या विकृत करना या जिंदगी को खतरे में डालना या
- एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करना[45]

भा.दं.सं की धारा 376: सजा : RI (सश्रम कारावास) 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना

नोट : आजीवन कारावास का तात्पर्य उक्त व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास से है

प्र. अगर पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या स्थायी बेहोशी की हालत में चली जाती है तो ऐसे अपराध किस सजा का प्रावधान है?

कानून कहता है कि जो कोई भी धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध करता है और इसे करने के दौरान चोट लगने के कारण महिला की मृत्यु हो जाती है या महिला स्थायी बेहोशी की हालत में चली जाती है, वह अपराध की श्रेणी में आता है ।

भा.दं.सं की धारा 376 ए: सजा : RI (सश्रम कारावास) 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास या मृत्यु तक

स्पष्टीकरण : आजीवन कारावास का तात्पर्य उक्त व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास से है

प्र. क्या पति को बलात्कार का दोषी ठहराया जा सकता है?

हां। कानून केवल दो परिस्थितियों को परिभाषित करता है, जिनमें पति बलात्कार का दोषी हो सकता है:

- भा.दं.सं की धारा 375 के अनुसार, पति बलात्कार का दोषी हो सकता है अगर उसने 15 साल से कम उम्र की अपनी पत्नी के साथ सहवास किया है
- भा.दं.सं की धारा 376 बी के अनुसार, पति तब भी बलात्कार का दोषी हो सकता है, अगर उसने अपनी ऐसी पत्नी से उसकी सहमति के बगैर संभोग किया हों, जो अलगाव की डिक्री या अन्य् के तहत अलग रह रही है।

प्र. अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा किए गए संभोग का क्या मतलब है?

जो कोई भी हों–

- प्राधिकारी की हैसियत से या विश्वास के संबंध में या
- लोक सेवक के रूप में या
- जेल, यातना गृह या उस समय लागू किसी कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित अभिरक्षा के किसी अन्य स्थान या महिला या बाल संस्थान का अधीक्षक या प्रबंधक के रूप में या
- अस्पताल के प्रबंधन कर्मी या अस्पताल के कर्मचारी के रूप में

अपनी अभिरक्षा में अपनी जिम्मेदारी के अधीन या परिसर में मौजूद किसी महिला के साथ संभोग करने के लिए फुसलाने के लिए अपने पद या भरोसे के संबंध का दुरुपयोग करता है, ऐसा संभोग बलात्कार के अपराध से कमतर नहीं माना जाएगा।

भा.दं.सं की धारा 376 सी: सजा : RI (सश्रम कारावास) 5 वर्ष से 10 वर्ष और जुर्माना

स्पष्टीकरण 1: "संभोग" का तात्पर्य धारा 375 के खंड (ए) से (डी) में वर्णित किसी भी कृत्य से है

प्र. गैंग रेप क्या है?

जिसमें किसी एक महिला के साथ एक या अधिक पुरुषों द्वारा एक साझा इरादे से बलात्कार किया जाता है, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति गैंग रेप के अपराध का दोषी माना जाएगा।

भा.दं.सं की धारा 376 डी : सजा : RI (सश्रम कारावास) 20 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना

स्पष्टीकरण : आजीवन कारावास का तात्पर्य उक्त व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास से है पीड़िता के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास के खर्च को पूरा करने के लिए यथोचित जुर्माना लगाया जाएगा वसूला गया जुर्माना पीड़िता को दिया जाएगा

प्र. क्या आवर्ती अपराधी के लिए भी कोई प्रावधान किया गया है?

हां। 376 इ कहता है कि वो व्यक्ति जो पूर्व में धारा 376 या धारा 376 ए या धारा 376 डी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी करार दिया गया है और वह बाद में उक्त धाराओं के अंतर्गत कोई दंडनीय अपराध का दोषी पाया जाता है।

भा.दं.सं की धारा 376 इ : सजा : आजीवन कारावास या मृत्यु

स्पष्टीकरण : आजीवन कारावास का तात्पर्य उक्त व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास से है

बलात्कार पीड़िता की चिकित्सा जांच :

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 ए में इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया है:

- जहां, बलात्कार करने या बलात्कार करने के प्रयास का अपराध जांचाधीन है, उसमें पीड़िता, जिसके साथ बलात्कार हुआ है या बलात्कार करने का प्रयास किया गए है, की जांच चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा कराई जाती है
- चिकित्सक जांच सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित अस्पताल में नियोजित MBBS डॉक्टर द्वारा की जाएगी
- अगर MBBS डॉक्टर अनुपस्थित है तो उक्त महिला की सहमति या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने के लिए अधिकृत व्यक्ति की सहमति से दूसरे MBBS डॉक्टर से जांच कराई जाएगी

- ऐसी पीड़ित महिला को उक्त अपराध होने से संबंधित सूचना प्राप्त करने के 24 घंटे के अंदर MBBS डॉक्टर के पास भेजा जाएगा
- पंजीकृत पेशेवर चिकित्सक बगैर किसी देरी के पीड़िता की जांच करेगा और निम्नलिखित विवरण के साथ अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा:--
  - » महिला और उस व्यक्ति का नाम और पता, जो उसको लेकर आया है
  - » महिला की आयु
  - » डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए महिला से ली गई सामग्री का विवरण
  - » महिला के शरीर पर चोट के निशान, यदि कोई हों
  - » महिला की सामान्य मानसिक स्थिति
  - » यथोचित अन्य महत्वपूर्ण विवरण
- रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष पर पहुंचने के कारणों को ठीक-ठीक प्रस्तुत किया जाएगा
- रिपोर्ट में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि चिकित्सक जांच के लिए महिला की सहमति या उसकी ओर से सहमति देने के लिए अधिकृत व्यक्ति की सहमति ले ली गई थी।
- रिपोर्ट में जांच शुरू करने और समाप्त करने का सटीक समय दर्ज किया जाएगा
- MBBS डॉक्टर बगैर किसी विलंब के रिपोर्ट जांच अधिकारी को भेजेगा जो आगे इसे मजिस्ट्रेट को भेजेगा
- इस धारा का कोई भी भाग महिला की सहमति या उसकी ओर से सहमति देने के लिए अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बगैर किसी जांच को कानूनी रूप से मान्य नहीं मानेगा।

प्र. बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की चिकित्सा जांच की क्या प्रक्रिया है?

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 ए कहती है कि –

- जब किसी व्यक्ति को बलात्कार करने या बलात्कार करने के प्रयास के अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी जांच चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा की जाएगी ताकि एसे अपराध को करने के साक्ष्य जुटाये जा सकें।
- चिकित्सा जांच सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित अस्पताल में नियोजित MBBS डॉक्टर द्वारा की जाएगी
- जिस जगह पर अपराध हुआ है उसके 16 किमी के दायरे में ऐसे पेशेवर चिकित्सक की अनुपस्थिति में पुलिस अधिकारी, जो उप-निरीक्षक से नीचे के रैंक का नहीं होगा, के अनुरोध पर दूसरे मान्यता प्राप्त पेशेवर चिकित्सक से जांच करवाई जाएगी।

साक्षी बनाम भारत सरकार और अन्य (2004) 5 SCC 518

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 (2), भा.दं.सं
की धारा 354 और 377 पर भी लागू होती है और निम्नलिखित निर्देश दिए:

बाल यौन शोषण और बलात्कार की सुनवाई में:

1) स्क्रीन या इस तरह की दूसरी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें पीड़िता या गवाह (जिन्हें पीड़िता के समान खतरा हो सकता है) आरोपी का शरीर या चेहरा न देख सकें
2) आरोपी की ओर से क्रास जांच में पूछे जाने वाले प्रश्न न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को लिखित में दिए जाने चाहिए
3) पीठासीन अधिकारी पीड़िता या गवाह से ये प्रश्न ऐसी भाषा में पूछेगा जो स्पष्ट है और असहज करने वाली नहीं है
4) बाल यौन शोषण या बलात्कार का पीड़ित को जब भी आवश्यकता हों न्यायालय में गवाही के दौरान पर्याप्त ब्रेक दिए जाने चाहिए।

- पंजीकृत पेशेवर चिकित्सक बगैर किसी विलंब के आरोपी व्यक्ति की जांच करेगा और निम्नलिखित विवरण के साथ अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा:
  - » आरोपी का नाम और पता
  - » उसे लाने वाला व्यक्ति
  - » आरोपी की आयु
  - » डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए महिला से ली गई सामग्री का विवरण
  - » महिला के शरीर पर चोट के निशान, यदि कोई हों
  - » यथोचित अन्य महत्वपूर्ण विवरण
- रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष पर पहुंचने के कारणों को ठीक-ठीक प्रस्तुत किया जाएगा
- रिपोर्ट में जांच शुरू करने और समाप्त करने का सटीक समय दर्ज किया जाएगा
- MBBS डॉक्टर बगैर किसी विलंब के रिपोर्ट जांच अधिकारी को भेजेगा
- जांच अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (5) के अनुसार मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा

प्र. बलात्कार के मामले की सुनवाई कैसे की जाएगी?

उ. बलात्कार के मामले की सुनवाई कैमरे के सामने होती है। इसका अर्थ है कि सुनवाई के दौरान कोई बाहरी व्यक्ति वहां नहीं रहता है।

बच्चे के यौन शोषण या बलात्कार का परीक्षण

प्र. क्या पीड़ित का नाम प्रकाशित किया जा सकता है?

उ. नहीं, भा.दं.सं की धारा 328 के अनुसार कतिपय अपराधों के पीड़ित के नाम का खुलासा करना दंडनीय अपराध है। नाम या कोई अन्य मामला छापना या प्रकाशित करना, जो उस व्यक्ति की पहचान को उजागर कर

सकती है, जिसके खिलाफ धारा 376, 376 ए, 376 बी, 376 सी, 376 डी और 376 इ के तहत अपराध का आरोप है या अपराध किया गया पाया गया है, उसे दंड दिया जा सकता है।

महिलाओं के प्रति शारीरिक अपराध

भा.दं.सं की धारा 326 ए : तेजाब से इच्छापूर्वक गंभीर चोट पहुंचना:

जो कोई भी व्यक्ति के शरीर के किसी एक भाग या एक से अधिक भाग को स्थायी या आंशिक हानि या विकृति या जलाना या अपंग बनाना, निष्क्रिय बनाना या उक्त व्यक्ति पर तेजाब फेंकर गंभीर चोट पहुंचाना या चोट पहुंचाने के इरादे से किसी और माध्यम से यह जानते हुए कि उसको इससे इस तरह की चोट या हानि हो सकती है, तेजाब फेंकने का प्रयास करना।

सजा: 10 वर्ष से आजीवन करावास और जुर्माना

नोट : पीड़िता के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास के खर्च को पूरा करने के लिए यथोचित जुर्माना लगाया जाएगा वसूला गया जुर्माना पीड़िता को दिया जाएगा।

भा.दं.सं की धारा 326 बी : इच्छापूर्वक तेजाब फेंकना या फेंकने का प्रयास करना

जो कोई भी किसी व्यक्ति पर स्थायी या आंशिक हानि या विकृति या जलाने या अपंग बनाने या निष्क्रिय बनाने या गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंकता है या फेंकने का प्रयास करता है या किसी अन्य माध्यम का इस्तेमाल करने का प्रयास करता है

सजा: 5 से 7 साल का कारावास और जुर्माना

स्पष्टीकरण 1- “तेजाब” में ऐसा कोई भी पदार्थ शामिल है जिसमें अम्लीय या संक्षरक गुण या जलाने की प्रकृति हों जो शारीरिक चोट पहुंचाने में सक्षम है और जिसके कारण निशान या विकृति या अस्थायी या स्थायी विकलांगता हो सकती है

स्पष्टीकरण 2- स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति जिसे बदला नहीं जा सकेगा

© Breakthrough/India

भा.दं.सं की धारा 354- महिला का शील भंग करने के इरादे से किया गया हमला या अपराधिक कृत्य

सजा: 1 से 5 साल तक कारावास और जुर्माना

भा.दं.सं की धारा 354 ए : यौन उत्पीड़न

निम्नलिखित में से कोई भी कृत्य करने वाला व्यक्ति यौन उत्पीड़न का दोषी माना जाएगा:

» शारीरिक संपर्क और अवांछनीय और स्पष्ट यौन पहल वाली निकटता; या

» यौन अहसान के लिए मांग या अनुरोध; या

» महिला की इच्छा के विरुद्ध पोनोग्राफी दिखाना; या

» अश्लील टिप्पाणी करना

- कोई भी व्यक्ति जो खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) में विनिर्दिष्ट अपराध करता है **सजा :** RI (सश्रम कारावास) 3 साल तक या जुर्माना या दोनों
- कोई भी व्यक्ति जो खंड (iv) में विनिर्दिष्ट अपराध करता है **सजा :** 1 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों

भा.दं.सं की धारा 354 बी : निर्वस्त्र करने के इरादे से महिला पर हमला करना या अपराधिक बल का प्रयोग करना

कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक जगह पर महिला को निर्वस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए मजबूर करने के इरादे से उस पर हमला करता है या अपराधिक बल प्रयोग करता या ऐसे अपराधिक कृत्य में सहायता करता है

सजा: 3 से 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना

भा.दं.सं की धारा 354 सी : छिप कर देखना

कोई व्यक्ति जो अंतरंग कार्य में व्यस्त् किसी महिला को ऐसी परिस्थितियों में देखता है या उसकी फोटो खींचता है, जिसमें वह आशा करती है कि उसे कोई अपराधी न देखें या अपराधी के आदेश पर कोई दूसरा व्यक्ति न देखें या ऐसी तस्वीरों को प्रचारित न करें

» पहली बार दोष सिद्ध होने पर सजा: 3 से 7 साल का कारावास और जुर्माना

» दूसरी बार या उसके बाद दोष सिद्ध होने पर सजा: 1 से 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना

प्र. निजी कृत्य का क्या मतबल है?

“निजी कृत्य” वाली परिस्थितियों में ऐसे स्थान में देखने का कृत्य शामिल है, जिसमें निजता मुहैया होनी चाहिए और जिसमें पीड़ित का गुप्तांग, नितंब या स्तन नग्न हैं या केवल अंडरवियर से ढके हैं; या पीड़ित शौचालय का इस्तेमाल कर रही है; या पीड़ित ऐसी यौन क्रिया में संलिप्त है जो सामान्यत: सार्वजनिक रूप से नहीं की जाती है।

स्पष्टीकरण 2- अगर पीड़िता कोई तस्वीर लेने या किसी कृत्य के लिए सहमति देती है, मगर किसी तीसरे व्यक्ति को इसे दिखाने के लिए मना करती है और जिसमें ऐसी तस्वीर या कृत्य प्रसारित किया जाता है, तो इस तरह प्रसारित करना इस धारा के तहत अपराध माना जाएगा।”

भा.दं.सं की धारा 354 डी : पीछा करना

कोई व्यक्ति पीछा करने का अपराध करता है जब वह-

- महिला का पीछा करता है या ऐसी महिला द्वारा अरूचि का स्पष्ट संकेत देने के बावजूद बार-बार जबर्दस्ती बात करने के लिए ऐसी महिला से संपर्क करता है या संपर्क करने का प्रयास करता है या
- महिला द्वारा इंटरनेट, इमेल या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के किसी अन्य

[46] http://www.quora.com/Is-the-The-Criminal-Law-amendment-Bill-2013-passed-in-Lok-Sabha-on-March-19-2013-gender-biased-in-regards-to-stalking-and-if-yes-does-this-make-it-open-to-abuse-by-women
http://www.christiankanoon.com/index.php/new-laws/central-government/22-the-criminal-law-amendment-act-2013-no-13-of-2013-2nd-april-2013
http://www.firstpost.com/india/the-anti-rape-bill-and-its-problematic-definition-of-stalking-671184.html

रूप के प्रयोग पर नजर रखता है या

- ऐसे तरीके से देखता है या जासूसी करता है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी महिला के मन में हिंसा का डर या गंभीर चेतावनी या संकट या महिला के मन की शांति भंग होती है।
  सजा: 1 से 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना

प्र. पीछा करना कब अपराध नहीं माना जाता है?

निम्नलिखित कृत्य को पीछा करना नहीं माना जाएगा बशर्ते कि पुरुष यह साबित कर देता है कि-

- यह अपराध को रोकने या पता लगाने के लिए किया गया था और पीछा करने के आरोपी व्यक्ति को राज्य द्वारा अपराध की रोकथाम करने या पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी या
- यह किसी कानून के तहत या किसी कानून के तहत किसी व्यक्ति द्वारा लगाई गई शर्त या अपेक्षा के अनुपालन में किया गया था या
- किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जैसे ऐसा करना उचित और औचित्यपूर्ण था[46]

भा.दं.सं की धारा 509: महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से कुछ कहना, इशारे करना या कृत्य करना

इस धारा के तहत अपराध में महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाना या यह जानकारी होना कि आरोपी के कृत्य से उसके सम्मान को ठेह पहुंचाना अपराध की शिकायत है।

सजा: 1 से 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना

महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है या नहीं, हमला किया गया है या नहीं या अपमानित किया गया है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए अंतिम परीक्षा यह है कि इसमें:

- महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने का इरादा।
- यह जानकारी होना कि अपराधी के कृत्य के परिणामस्वरूप उसके सम्मान को ठेस पहुंच रही है।
- अपराधी का कार्य ऐसा होना कि जिससे यह समझा जाए कि यह महिला की शालीनता की भावना को ठेस पहुंचा सकता है।

मानव तस्करी-रोधी

तस्करी: राष्ट्रीय विधिक फ्रेमवर्क

नीचे वे मुख्य महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं जो तस्करी के मामलों में प्रासंगिक और लागू हैं:

- भारत का संविधान
- भारतीय दंड संहिता
- अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956
- बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1946
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 यथा संशोधित
- धनशोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 यथा संशोधित
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

अन्य विशेष कानून:

- शस्त्र अधिनियम, 1959
- एनडीपीएस अधिनियम, 1985
- भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988
- नागरिकता अधिनियम, 1955
- विदेशियों विषय अधिनियम, 1946
- आप्रवास (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000
- भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, 1920
- धार्मिक संस्थान (दुरुपयोग का निवारण) अधिनियम, 1988
- स्त्री अशिष्ट रूपणा (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- अल्पावय व्यक्ति (अपहानिकारक प्रकाशन) अधिनियम, 1956
- हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, 1956
- संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890
- उत्प्रवास अधिनियम, 1983
- विदेशी विवाह अधिनियम, 1969
- एनडीपीएस में अवैध आवागमन निरोधक अधिनियम, 1988
- घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा अधिनियम, 2005
- होटल रसीद कर अधिनियम, 1980
- बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम, 1933
- बाल नियोजन अधिनियम, 1938
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- कारखाना अधिनियम, 1948
- खान अधिनियम, 1952
- मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958
- मोटर परिवहन कामगार अधिनियम, 1961
- प्रशिक्षु अधिनियम
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- बागान श्रम अधिनियम, 1951
- बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976
- बीड़ी और सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966
- ठेका श्रमिक अधिनियम 1970
- अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार (नियोजन का नियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979

मुख्य अपराध	
भारतीय दंड संहित (भा.दं.सं) धारा 363 ए : भीख मंगवाने के उद्देश्य के लिए नाबालिग का अपहरण करना या अपंग बनना धारा 366 ए : यौन शोषण के लिए नाबालिग को प्राप्त करना धारा 366 बी : यौन शोषण के लिए दूसरे देश से लड़की आयात करना धारा 367: गुलामी के अधीन व्यक्ति का अपहरण या जबर्दस्ती ले जाना 370 : मानव तस्करी 370 ए : तस्करी कर लाए गए व्यक्ति का शोषण धारा 372: वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग को बेचना धारा 373: वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग को खरीदना अनैतिक तस्करी निरोधक अधिनियम (ITPA), 1956 धारा 5 - किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए प्राप्त करना, लगाना या लेना **किशोर न्याय (बच्चों् की देखरेख और सरंक्षण) अधिनियम (जे.जे. अधिनियम), 2000** धारा 26: शोषण के उद्देश्य के लिए 18 साल से कम उम्र के बच्चे/को प्राप्त करना (खतरनाक काम+ कैद+ कोई मजदूरी नहीं/मजदूरी रोक देना)	**भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं)** धारा 371: गुलामों का बार-बार दुर्व्यापार करना धारा 374: किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ श्रम के लिए गैरकानूनी ढंग से बाध्य करना **जे.जे. अधिनियम, 2000** धारा 24: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से भीख मंगवाना **बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम (BLSA), 1976** धारा 16: किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर करना धारा 17: किसी बंधुआ ऋण के लिए अग्रिम देना (बंधुआ मजदूरी के लिए) धारा 18: किसी रीति, परंपरा, संविदा, करार या अन्य लिखत को लागू करना ताकि व्यक्ति को बंधुआ श्रम व्यवस्था के तहत कोई सेवा करनी पड़े **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (अजा/अजजा अधिनियम), 1989** धारा 3(1) (vi): अजा/अजजा को गैरकानूनी "भीख मांगने" के लिए या मजदूरी या बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर करना या प्रलोभन देना। **बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम (CLPRA), 1986.** धारा 14: 14 वर्ष से छोटे किसी बच्चे को अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित पेशे और कार्य में नियोजित करना या अनुमति देना। **मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधिनियम (TOHO अधिनियमय), 1994** धारा 18: बगैर प्राधिकार के अंग निकालना धारा 19: मानव अंगों का वाणिज्यिक व्यापार

भा.दं.सं की धारा 370

जो भी हो, शोषण के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित के द्वारा व्यक्ति या व्यक्तियों को (ए) भर्ती करता है, (बी) परिवहन करता है, (सी) शरण देता है, (डी) हस्तां्तरित करता है, या (इ) प्राप्त करता है, -

- **पहला -** धमकी देकर या
- **दूसरा-** बल का प्रयोग करके या किसी अन्य रूप में जबरदस्ती करके या
- **तीसरा -** बहला फुसला करके या
- **चौथा -** धोखे या छल से या
- **पांचवा -** शक्ति का दुरूपयोग करके या
- **छठा -** प्रलोभन देकर जिसमें भर्ती, परिवहन किए, शरण दिए गए, हस्तांतरित किए गए या प्राप्त किए गए नियंत्रण के अधीन व्यक्ति की सहमति लेने के लिए भुगतान या लाभ देना या लेना शामिल है, यह दुर्व्यापार का अपराध माना जाता है।

स्पष्टीकरण 1 - "शोषण'' में शारीरिक शोषण या किसी भी रूप में किया गया यौन शोषण, गुलामी या इसी किस्म का कोई और कृत्य, दासता या अंगों का बलपूर्वक निकालना शामिल है।

स्पष्टीकरण 2 - दुर्व्यापार के अपराध के निर्धारण में पीड़ित की सहमति महत्वहीन होती है।

- जो भी व्यक्ति मानव तस्करी का अपराध करता है उसे 7 से 10 वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
- अगर अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों की तस्करी शामिल है तो इसके लिए 10 वर्ष से सश्रम आजीवन करावास और जुर्माना लगाया जा सकता है।
- अगर अपराध में नाबालिग की तस्करी शामिल है इसके लिए 10 वर्ष से सश्रम आजीवन करावास और जुर्माना लगाया जा सकता है।
- अगर अपराध में एक से अधिक नाबालिग की तस्करी शामिल है इसके लिए 14 वर्ष से सश्रम आजीवन करावास और जुर्माना लगाया जा सकता है।
- अगर व्यक्ति पर एक से अधिक बार नाबालिग की तस्करी करने का अपराध सिद्ध हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, जिसका अर्थ है कि उस व्यक्ति को अपना शेष प्राकृतिक जीवन कारावास में बिताना पड़ेगा और जुर्माना भी देना होगा।
- अगर कोई लोक सेवक या पुलिस अधिकारी मानव तस्करी में संलिप्त पाया जाता है तो ऐसे लोक सेवक या पुलिस अधिकारी को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, जिसका अर्थ है कि उस व्यक्ति को अपना शेष प्राकृतिक जीवन कारावास में बिताना पड़ेगा और जुर्माना भी देना होगा।

370 ए : मानव तस्करी करके लाए गए व्यक्ति का शोषण

- कोई भी हो, जानबूझ कर या यह विश्वास करने का कारण हो कि नाबालिग की मानव तस्करी की गई है, ऐसे नाबालिग को किसी भी तरह के यौन शोषण में लिप्त रखने पर 5 से 7 वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माना लगाया जाएगा।
- कोई भी हो, जानबूझ कर या यह विश्वास करने का कारण हो कि व्यक्ति की मानव तस्कारी की गई है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह के यौन शोषण में लिप्त रखने पर 3 से 5 वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माना लगाया जाएगा।

अनैतिक (व्यातपर) निरोधक अधिनियम और संबंधित सजा

वाणिज्यिक यौन शोषण		
धारा	**प्रावधान**	**सजा**
3	वेश्यालय हेतु रखने या परिसर का इस्तेमाल वेश्यालय के रूप में करने की अनुमति देने पर सजा का प्रावधान है	1 से 3 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹ 2000 तक का जुर्माना इसके बाद के अपराध के लिए 2 से 5 वर्ष का करावास और ₹ 2000 तक जुर्माना
3 (2)	कोई भी व्यक्ति जो किरायेदार है और किसी अन्य व्यक्ति को उस परिसर या उसके किसी भाग का इस्तेमाल वेश्यालय के रूप में करने की अनुमति देता है या इसका मालिक है और परिसर का इस्तेमाल वेश्यालय रूप में करने देता है, ऐसे व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान है।	जुर्मनि के साथ 2 वर्ष का सश्रम कारावास, जिसे ₹ 2000 तक बढ़ाया जा सकता है बाद के अपराध के लिए जुर्मनि के साथ 5 वर्ष तक का सश्रम कारावास, जिसे ₹ 2000 तक बढ़ाया जा सकता है
4	18 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे किसी भी व्यक्ति को सजा दी जा सकती है जो जानबूझ कर वेश्या की कमाई पर जीवन व्यतीत करता है।	2 वर्ष तक का कारावास और ₹ 1000 तक जुर्माना या दोनों
4 (2)	अगर कोई व्यक्ति नाबालिग की कमाई पर जीवनयापन करता है तो उसे और कठोर दंड दिया जाना चाहिए, इसमें बच्चे या नाबालिग द्वारा वेश्यावृत्ति करके कमाई की जाती है, ऐसे मामले में कारावास अवधि को बढ़ाया जाता है, जिसे 7 से 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।	7 से 10 वर्ष तक का कारावास
5	अगर कोई व्यक्ति, जो उद्देश्य के लिए व्यक्ति को प्राप्त करता है, प्रलोभन देता है या ले जाता है, उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है	3 से 7 वर्ष तक का सश्रम कारावास और ₹ 2000 का जुर्माना या दोनों। अगर अपराध दुबारा किया जाता है और व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रेरित या प्राप्त किया जाता है तो 7 से 14 वर्ष का कारावास। अगर बच्चे की इच्छा के विरुद्ध अपराध किया जाता है तो 7 वर्ष से सश्रम आजीवन कारावास। अगर अपराध नाबालिग के विरुद्ध होता है तो 7 से 14 वर्ष तक का सश्रम कारावास।
6	अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वेश्यालय या किसी अन्य परिसर में संभोग के लिए बंधक रखता है तो वह अपराधी माना जाएगा और अधिनियम के तहत उसे दंड दिया जाएगा।	7 से 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
6 (2)	अगर कोई व्यक्ति वेश्यालय में बच्चे के साथ पाया जाता है, तो यह माना जाएगा कि उसने उस बच्चे को संभोग के लिए बंधक बना रखा था	7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना
6(2) (ए)	अगर कोई बच्चा या नाबालिग वेश्यालय में पाया जाता है और उसका यौन शोषण होते हुए पकड़ा जाता है तो यह माना जाएगा कि बच्चे या नाबालिग को वेश्या वृत्ति के लए बंधक बना कर रखा गया था।	पहली बार दोषी सिद्ध होने पर 3 माह का कारावास और ₹ 200 का जुर्माना दूसरी बार दोष सिद्ध होने पर, 6 माह का कारावास और ₹ 200 का जुर्माना। अगर सार्वजनिक स्थान में कोई होटल शामिल है तो ऐसे होटल का लाइसेंस 3 माह से 1 वर्ष तक के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। अगर इसके तहत अपराध बच्चे से संबंधित है तो ऐसे होटल का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।
6 (3)	अगर किसी महिला या लड़की को पति से इतर किसी अन्य व्यक्ति के साथ संभोग करने के लिए बंधक बना कर रखा जाता है तो यह बंधक रखने का मामला होगा फिर चाहे उसे प्रलोभन देकर, उसके आभूषण/निजी सामान रखकर या कानूनी कार्यवाही की धमकी देकर बंधक बनाया गया हों, ऐसे मामलों में, आभूषण, वस्त्र या कोई और संपत्ति की बरामदगी करने के लिए बंदी के दृष्टांत पर महिला के खिलाफ किसी भी न्याायालय में अपील/कार्यवाही की जा सकती है।	
9	कोई व्यक्ति जो वेश्यावृत्ति के लिए झांसा देकर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संभोग करता है या उसके लिए उकसाता है वो सजा का हकदार होगा बशर्ते दूसरा व्यक्ति उसके नियंत्रण, प्रभार या प्राधिकार में है।	7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना
7	सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक स्थान से दो सौ मीटर के अंदर वेश्यावृत्ति की मनाही है। इस धारा के तहत किया गया अपराध दंडनीय है।	3 माह का कारावास
7(1) (ए)	अगर बच्चे या नाबालिग के संबंध में उपधारा (1) के तहत अपराध किया जाता है तो अपराध करने वाला व्यक्ति को कठोर सजा से अधिक सजा दी जा सकती है।	7 से 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना
7(2)	सार्वजनिक स्थान का कीपर अगर जानबूझ कर वेश्या को वेश्यावृत्ति के लिए अनुमति देता है तो वह दंड का भागी होगा	

स्रोत : http://www.advocatekhoj.com/library/bareacts/criminallawamendment/8.php

प्र. एफआईआर कहां दर्ज की जाती है?

मानव तस्करी एक संगठित अपराध है, जो निरंतर जारी है। ITPA की धारा 5 (3), के अनुसार एफआईआर मांग/गंतव्य क्षेत्र (अधिकांशत- यह बचाव स्थल होता है) या ट्रांजिट स्थल या उस स्थान पर दर्ज की जानी चाहिए जहां व्यक्ति की (स्रोत क्षेत्र) से मानव तस्करी की गई थी। हालांकि आपात मामले में Cr. PC की धारा 149 व 150 के तहत एफआईआर बचाव करने के बाद दर्ज की जा सकती है।

ITPA की धारा 13– विशेष पुलिस अधिकारी और परामर्श निकाय

- ITPA के तहत अपराधों पर कार्यवाही करने के लिए विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है
- विशेष पुलिस अधिकारी पुलिस निरीक्षक के रैंक से नीचे का नहीं होगा।
- जिला मजिस्ट्रेट जरूरी समझे जाने पर या तेजी से कार्यवाही करने के लिए मामला विशेष या मामलों के मामले या सामान्यी मामलों के संबंध में इस अधिनियम के तहत विशेष पुलिस अधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति या सभी शक्तियां किसी सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी या सैन्य अधिकारी को दे सकता है।

ITPA की धारा 13 (3) –

विशेष पुलिस अधिकारी की अधीनस्थ पुलिस अधिकारी सहायता करेंगे (महिला पुलिस अधिकारी सहित, जहां कहीं व्यवहारिक हों)

ITPA की धारा 13 (3) –

राज्य सरकार विशेष पुलिस अधिकारी के साथ एक गैर-सरकारी परामर्श निकाय के रूप में सहयोग कर सकती है, जिसमें इस अधिनियम की कार्यप्रणाली के संबंध में सामान्य महत्व के प्रश्नों पर उसे सलाह देने के लिए उस क्षेत्र के 5 मुख्य सामाजिक कल्याण कार्यकर्ता शामिल होंगे (महिला सामाजिक कार्यकर्ता सहित, जहां कहीं व्यवहारिक हों)

ITPA की धारा 13 (4) –

ITPA या व्यक्तियों के यौन शोषण से संबंधित किसी अन्य कानून के तहत किसी अपराध, जो एक से अधिक राज्य में हुआ है, की जांच करने के लिए दुर्व्यापार पुलिस अधिकारियों के रूप में पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।

वे संपूर्ण भारत के लिए शक्तियों का प्रयोग और कार्य करते हैं

बगैर वारंट तलाशी

ITPA की धारा 15 –

- विशेष पुलिस अधिकारी/TPO बगैर वारंट तलाशी ले सकता है और बचाव कर सकता है
- तलाशी लेने से पहले SPO/TPO जिस स्थान की तलाशी ली जानी है, वहां की तलाशी कार्य को देखने के लिए वहां के दो या अधिक सम्मानित निवासियों को बुलाएगा, इसके लिए वह उन सभी या किसी एक को लिखित में आदेश जारी कर सकता है।
- व्यक्ति को निकालने के बाद विशेष पुलिस अधिकारी उसे संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा।
- जिस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है उसकी जांच पंजीकृत पेशेवर चिकित्सक द्वारा निम्नलिखित प्रयोजन के लिए जांच की जाती है:
  - उक्त व्यक्ति की उम्र का पता लगाना
  - यौन शोषण के कारण किसी चोट का पता लगाना
  - किसी यौन संचारित रोग का पता लगाना
- तलाशी लेने वाले विशेष पुलिस अधिकारी के साथ कम से कम दो महिला पुलिस अधिकारी होनी चाहिए।
- अगर किसी लड़की या महिला को निकाला जाता है और उनसे पूछताछ अपेक्षित है तो यह कार्य महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- अगर महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो पूछताछ मान्यता प्राप्त संस्थान या संगठन की महिला सदस्य के सामने की जाएगी।

महिलाओं और बच्चों के अधिकार

धारा 46 (4) – सूर्यास्त और सूर्योदय से पहले किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

जहां असाधारण परिस्थितियां मौजूद हैं, महिला पुलिस अधिकारी लिखित रिपोर्ट तैयार करेगी और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति प्राप्ति करेगी, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अपराध हुआ है या गिरफ्तारी की जानी है।

धारा 47 –

इसका संबंध तलाशी वाली जगह में किसी व्यक्ति के प्रवेश और उसकी गिरफ्तारी किए जाने से है। इस धारा का परंतु ऐसी स्थिति से संबंधित है, जहां इस तरह के स्थान पर महिला रह रही है (वो व्यक्ति नहीं, जिसे गिरफ्तार किया जाना है) जो रीति रिवाजों के चलते सामने नहीं आती है, ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी उसके घर में प्रवेश करने से पहले महिला को बाहर निकलने की सूचना देगा और उसे बाहर निकलने की सारी सुविधा मुहैया कराएगा और फिर घर में प्रवेश करेगा।

धारा 51 (2) : महिला की तलाशी निजता और सम्मान के साथ केवल दूसरी महिला द्वारा ली जा सकती है।

संदिग्ध महिला को पुलिस स्टेशन में अलग लॉकअप में रखना चाहिए। उन्हें वहा नहीं रखना चाहिए जहां संदिग्ध पुरुषों को रखा जाता है।

धारा 53 (2)

पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर आरोपित महिला के मामले में, चिकित्सा जांच महिला पंजीकृत पेशेवर चिकित्सक द्वारा या उसकी देखरेख में की जानी होती है।

धारा 49

प्रत्योक गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार है कि :

- पूछताछ और जांच के दौरान हिरासत में उसके साथ बुरा बर्ताव, दुर्व्यवहार न हों और उसे यातना न दी जाए।
- उसे भागने से रोकने के लिए जरूरी के मुकाबले अधिक सख्ती नहीं की जानी चाहिए।

धारा 50 –

प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार है कि :

- पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कारण जानना। पुलिस को भी गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकार बताने चाहिए (अनुच्छेद 22 (1), संविधान)
- जमानत योग्य अपराध में गिरफ्तार किए जाने पर जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए। जमानत पर छूटने के अधिकार की जानकारी देना पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है।

धारा 51 –

गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने और उससे जब्त की गई सभी वस्तुओं को सुरक्षित रखने का अर्हक है। ऐसी वस्तुओं की एक रसीद गिरफ्तार व्यक्ति को अवश्य दी जानी चाहिए।

धारा 52-

यह धारा पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति से घातक हथियारों को जब्ती करने का अधिकार देती है। जब्त किए गए हथियार व्यक्ति के साथ मजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम अधिकारी के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे।

धारा 53-

यह धारा पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा जांच कराने का निर्देश देती है बशर्ते कि उसके पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि ऐसी जांच अपराध के साक्ष्य का काम करेगी। चिकित्सा जांच केवल ''पंजीकृत पेशेवर चिकित्सक'' द्वारा की जाएगी।

स्पष्टीकरण : महिला के मामले में जांच केवल महिला पंजीकृत पेशेवर चिकित्सक द्वारा की जाएगी।

धारा 54 - चिकित्सा जांच का अधिकार

- प्रत्येक आरोपी व्यक्ति उस पर लगाए गए कथित आरोप का खंडन करने के लिए अपने शरीर की जांच किसी पंजीकृत पेशेवर चिकित्सक से कराने की मांग कर सकता है। उसके इस अधिकार के बारे में बताने की जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट की है।
- जांच के समय, शरीर पर पाए जाने वाले चोट के निशान दर्ज किए जाने चाहिए। जांच पूरी होने के बाद एक निरीक्षण मीमो बनाया जाना जरूरी है और इस मीमो पर गिरफ्तार व्यक्ति और गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। (डी. के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य)।
- प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में रखने के दौरान प्रत्येक 48 घंटे में योग्य और सरकार द्वारा अनुमोदित डॉक्टर से चिकित्सा् जांच कराने का अधिकार है (डी. के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य)।

धारा 54 ए :

- अगर गिरफ्तार व्याक्ति की पहचान करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है तो इस तरह की पहचान कराने की प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में कराई जाएगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगा कि ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान इस विधि से करें जो उसके लिए सहज हों:
- अगर गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है तो पहचान की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।

धारा 56 –

- उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। इस अवधि में यात्रा में लगा समय शामिल नहीं है (अनुच्छेद 22 (2), संविधान)

- उसकी गिरफ्तारी और स्थान के बारे में उसके रिश्तेदार या दोस्त को सूचना देना। इस अधिकार के बारे में बताने और उसकी गिरफ्तारी और स्थान के बारे में रिश्तेदार या दोस्त को सूचना देना पुलिस की जिम्मेदारी है। (डी. के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य)
- उसकी पसंद के वकील से मिलाना और परामर्श लेना। गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान वकील से परामर्श कर सकता है मगर पूरी पूछताछ अवधि के दौरान नहीं। अनुच्छेद 22(1), संविधान; सुप्रीम कोर्ट का निर्णय (डी. के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य)

प्र. प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है?

धारा 154 के अनुसार, अपराध का पीड़ित पुलिस को सूचना मुहैया कराता है। यह सूचना लिखी जाती है और इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। यह संज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस स्टेसशन के प्रभारी द्वारा मौखिक या लिखित रूप में प्रापत सूचना को रिकार्ड करने के तरीके के बारे में बताती है। जब भी पुलिस को कथित अपराध के बारे में सूचना प्राप्त होती है, जो कि संज्ञेय है, एफआईआर को दर्ज करना जरूरी होता है।

धारा 154 के नियम :

अगर ऐसी महिला द्वारा सूचना दी जाती है जिसके खिलाफ भा.दं.सं की धारा 326 ए, धारा 326 बी, धारा 354, धारा 354 ए, धारा 354 बी, धारा 354 सी, धारा 354 डी, धारा 376, धारा 376 ए, धारा 376 बी, धारा 376 सी, धारा 376 डी, धारा 376 इ या धारा 509 के तहत अपराध करने या अपराध करने के प्रयास का मामला है तो ऐसी सूचना किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी।

अगर ऐसी व्यक्ति द्वारा सूचना दी जाती है जिसके खिलाफ भा.दं.सं की धारा 354, धारा 354 ए, धारा 354 बी, धारा 354 सी, धारा 354 डी, धारा 376, धारा 376 ए, धारा 376 बी, धारा 376 सी, धारा 376 सी, धारा 376 इ या धारा 509 के तहत अपराध करने या अपराध करने के प्रयास का मामला है और ऐसा व्यक्ति अस्थायी या स्थायी तौर पर मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है तो ऐसी सूचना पुलिस अधिकारी द्वारा किसी दुभाषिया या विशेष शिक्षक की उपस्थिति में दर्ज की जाएगी:

- इस तरह के अपराध की रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का निवास या
- उक्त व्यक्ति की पसंद के अनुसार कोई भी सुविधाजनक स्थान, जैसा भी मामला हों;

इसके अतिरिक्त

- इस तरह की सूचना की रिकार्डिंग की वीडियोग्रफी की जाएगी
- पुलिस अधिकारी जल्दी से जल्दी धारा 164 (5ए) के तहत न्यीयिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज उक्त व्यक्ति का बयान लेगा

संज्ञेय अपराध के संबंध में शिकायत प्राप्त करने होने पर, एफआईआर दर्ज करना और उसके बाद जांच करना जांच प्राधिकारी का कर्तव्य है

एक ही ट्रांजेक्शन के दौरान हुए एक अपराध या अलग अपराध की दूसरी एफआईआर की अनुमति नहीं है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है।

धारा 160 - गवाह की उपस्थिति के संबंध में पुलिस अधिकारी की शक्ति

15 वर्ष से छोटा व्यक्ति, या 65 वर्ष से अधिक का कोई व्यक्ति या महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को उस स्थान, जो ऐसे व्यक्ति या महिला का निवास स्थान है, के अलावा दूसरे स्थान पर नहीं बुलाया जा सकता।

धारा 161: पुलिस द्वारा गवाहों की जांच:

ऐसी महिला का बयान, जिसके खिलाफ भा.दं.सं की धारा 354, धारा 354 ए, धारा 354 बी, धारा 354 सी, धारा 354 डी, धारा 376, धारा 376 ए, धारा 376 बी, धारा 376 सी, धारा 376 डी, धारा 376 इ या धारा 509 के

तहत अपराध करने या अपराध करने के प्रयास का मामला है, किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा।

धारा 164 (5ए):— न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बयान दर्ज करना

(a) भा.दं.सं की धारा 354, धारा 354 ए, धारा 354 बी, धारा 354 सी, धारा 354 डी, धारा 376, धारा 376 ए, धारा 376 बी, धारा 376 सी, धारा 376 डी, धारा 376 इ या धारा 509 के तहत दंडनीय अपराध के मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट पुलिस के संज्ञान में मामला आते ही तुरंत उस व्यक्ति का बयान दर्ज करेगा, जिसके खिलाफ उपधारा (5) में दिए गए तरीके से ऐसा अपराध करने का मामला है।

अगर बयान देने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है तो मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करने में दुभाषिया या विशेष शिक्षक की मदद लेगा:

अगर बयान देने वाला व्यक्ति स्थायी या अस्थायी तौर पर मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है तो बयान दर्ज करने में दुभाषिया या विशेष शिक्षक की मदद ली जाएगी और इसकी विडियोग्राफी की जाएगी।

(b) अस्थायी या स्थायी तौर पर मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति का खंड (a) के तहत दर्ज बयान को जांच प्रभारी के स्थान पर बयान माना जाएगा, जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 137 में विनिर्दिष्ट है कि बयान देने वाले व्यक्ति के बयान की जिरह के समय इसकी रिकार्डिंग के बगैर क्रास जांच की जाएगी।

जिरह चल रही है। इस पर नवीनतम सूचना आगे वाले खंड में रिपोर्ट के अंतिम सेगमेंट में साझा की जाएगी। यही सूचना बैठक की टिप्णियों में साझा किए गए एजेंडा में साझा की जाएगी। यह भी सुझाव है कि टिप्पणियों में साझा गई कुछ सूचना फर्जी हो सकती है जैसे कि मैंने हमेशा अपने साथियों से कम काम किया।

धारा 174- आत्महत्या आदि के मामले की पुलिस द्वारा जांच और रिपोर्ट करना

- जब राज्य सरकार द्वारा विशेष अधिकार प्राप्त पुलिस स्टेशन का प्रभारी या कुछ अन्य पुलिस अधिकारी यह सूचना प्राप्त करता है कि व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या जानवर या मशीन या दुर्घटना में व्यक्ति की हत्या् हो गई है या किन्हीं परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे यह संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध किया है, उसे तुरंत मृत्यु विचारणा के लिए अधिकृत नजदीकी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सूचना देनी चाहिए।
- वह उस स्थान पर जाएगा, जहां मृतक का शव पड़ा हुआ है और वहां पर वह पास पड़ोस के दो और सम्मानित निवासियों की उपस्थिति में जांच करेगा और दृश्यामान कारण की रिपोर्ट बनाएगा जिसमें घावों, फ्रैक्च्र, खरोंच और चोट के अन्य, निशान, जो भी शरीर पर पाए जाएं, का ब्यौरा, किस तरीके से और किस हथियार या उपकरण (अगर कोई हो) के वार से ये निशान पड़े हैं आदि का विवरण दिया जाएगा।
- रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्य् व्यक्तियों या उनमें से कुछेक लोगों, जैसी भी सहमति हों, द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और यह तत्काल सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट के जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी।

धारा 176

हिरासत में मृत्यु के मामलों में, मजिस्ट्रेट की ओर से मृत्यु के कारण की जांच कराना अनिवार्य होगा।

धारा 197 (स्पष्टीकरण) :

भा.दं.सं की धारा 166 ए, धारा 166 बी, धारा 354, धारा 354 ए, धारा 354 बी, धारा 354 सी, धारा 354 डी, धारा 370, धारा 375, धारा 376, धारा 376 ए, धारा 376 सी, धारा 376 डी या धारा 509 के तहत किए गए किसी अपराध में लोक सेवक के आरोपी होने के मामले में किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

धारा 198 बी : अपराध का संज्ञान

कोई भी न्यायालय भा.दं.सं की धारा 376 बी के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जिसमें व्यक्ति वैवाहिक संबंध में होता है, केवल तथ्यों की प्रत्यक्षत: संतुष्टि को छोड़कर, जो पत्नी, द्वारा पति के खिलाफ की गई शिकायत के परिणामस्वरूप अपराध होता है।

धारा 273 प्रावधान :

अगर 18 साल से कम उम्र की महिला, जिसके साथ बलात्कार या कोई अन्य यौन अपराध करने का मामला है, के साक्ष्य रिकॉर्ड किए जाने हैं तो न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा कि आरोपी की क्रास पूछताछ करते समय महिला और आरोपी का आमना-सामना न हों।

धारा 309 (1) :

प्रत्येक पूछताछ या जिरह में कार्यवाही दिन प्रतिदिन तब तक जारी रखी जाएगी जब तक कि सभी गवाहों की जांच न कर ली जाएं, जब तक कि न्यायालय को दर्ज करने के लिए जरूरी कारण से आगामी दिन से आगे के लिए इसे स्थगित न कर दें।

जब कोई पूछताछ या जिरह भा.दं.सं की धारा 376, धारा 376 ए, धारा 376 बी, धारा 376 सी या धारा 376 डी के तहत किसी अपराध से संबंधित होती है तो पूछताछ या जिरह को जहां तक संभव हों अरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से दो महीने के अंदर पूरा किया जाएगा।

धारा 357 ए पीड़ित मुआवजा योजना

- प्रत्येक राज्य केन्द्र सरकार के सहयोग से पीड़ित या उसके आश्रितों, जो अपराध के परिणामस्वरूप हानि या चोट वहन कर रहे हैं या जिनके पुनर्वास की आवश्यकता है, को मुआवजा प्रदान करने के मकसद से निधियां मुहैया कराने के लिए योजनाएं तैयार करेगा।
- जब भी कोई न्यायालय मुआवजे की सिफारिश करता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उप-धारा (1) में वर्णित योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले मुआवजे की राशि निर्धारित करेगा।
- अगर निचली अदालत सुनवाई के निष्कर्ष से संतुष्ट है कि धारा 357 के तहत दिया गया मुआवजा ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है या मामला दोषमुक्त करने के साथ समाप्त होता है और पीड़ित का पुनर्वास किया जाना है तो यह मुआवजे की सिफारिश कर सकता है।
- अगर अपराधी पकड़ा या पहचाना नहीं जाता है, मगर पीड़ित पहचाना गया है और जिसमें सुनवाई नहीं हुई है, ऐसे मामलों में पीड़ित और उसके आश्रित मुआवजे की मांग के लिए राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
- इस तरह की सिफारिश मिलने या उपधारा (4) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यथोचित पूछताछ करके और इसे दो माह के अंदर पूरा करके पर्याप्त मुआवजा का आदेश देगा।
- राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित की पीड़ा कम करने के लिए पुलिस अधिकारी, जो पुलिस स्टेशन प्रभारी के रैंक से कम रैंक का नहीं होगा, या संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाणपत्र पर तत्काल प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या चिकित्साक लाभ या अंतरिम राहत, जो संबंधित प्राधिकरी उचित समझें का आदेश दे सकता है।[47]

357 बी : मुआवजा भा.दं.सं की धारा 326 ए या धारा 376 सी के तहत जुर्माने के अतिरिक्त होगा

राज्या सरकार द्वारा धारा 357 ए के तहत देय मुआवजा भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ए या धारा 376 डी के तहत पीड़ित के लिए जुर्माने के भुगतान के अतिरिक्त होगा।

धारा 436 ए - अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखा जा सकता है

अगर किसी व्यक्ति को किसी कानून (ऐसा अपराध नहीं, जिसके लिए उक्त कानून के तहत सजाओं में से एक के रूप में मृत्युदंड निर्दिष्ट किया गया है)

[47] http://www.lawzonline.com/bareacts/Criminal-procedure-code/section357A-Code-of-criminal-procedure.htm
http://lawreports.wordpress.com/2009/06/23/recent-changes-in-the-legal-process-in-india/

के तहत और इस संहिता के तहत किसी अपराध के लिए जांच, पूछताछ या सुनवाई के लिए उक्त कानून के तहत उक्त अपराध के लिए निर्दिष्ट करावास की अधिकतम अवधि की आधी अवधि तक हिरासत में रखा जाता है तो उसे जमानती या बिना जमानती के उसके निजी मुचलके पर न्या्यालय द्वारा रिहा किया जाएगा:

परंतु न्यायालय सरकारी वकील को सुनने के बाद और इसे लिखित में दर्ज करने के कारण से उक्त व्यक्ति को उक्त अवधि की आधी अवधि से अधिक अवधि के लिए हिरासत में रखने का आदेश दे सकता है या जमानती या बगैर जमानती के निजी मुचलके के स्थान पर जमानत पर रिहा कर सकता है:

परंतु किसी भी ऐसे व्यक्ति को जांच या सुनवाई की अवधि के दौरान, उक्त कानून के तहत उक्त् अपराध के लिए निर्धारित कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक समय के लिए हिरासत में नहीं रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण - जमानत देने के लिए इस धारा के तहत हिरासत में रखने की अवधि की गणना करने में आरोपी की वजह से कार्यवाही में विलंब के कारण गुजर चुकी हिरासत अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा।[48]

धारा 437

जब किसी महिला को किसी गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जाता है, बेशक अपराध अत्यंत गंभीर क्यों न हों (मृत्युदंड तक भी दिया जा सकता है), न्यायालय उसे जमानत पर रिहा कर सकता है।

प्र. जब पुलिस शिकायत दर्ज करने से मना कर देती है?

अगर पुलिस शिकायत दर्ज करने से मना कर देती है तो पीड़ित व्यक्ति मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है और मजिस्ट्रेट पुलिस को इसे दर्ज करने और इसकी जांच करने का आदेश दे सकता है।

भा.दं.सं की धारा 166 ए : लोक सेवक द्वारा कानून के तहत निर्देश की अवहेलना करना

जो कोई भी हों, लोक सेवक होने के नाते,

- जानबूझ कर कानून के किसी निर्देश की अवहेलना करना, जो किसी अपराध की जांच के मामले या किसी अन्य मामले के लिए किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा को निषिध करता है, या
- जानबूझ कर किसी व्यक्ति के पूर्वाग्रह, तरीके के नियमन करने वाले कानून के निर्देश की अवहेलना करता है, जिसमें वह ऐसी जांच करेगा, या
- धारा 326 ए, धारा 326 बी, धारा 354, धारा 354 ए, धारा 354 बी, धारा 354 सी, धारा 354 डी (2), धारा 370, धारा 370 ए, धारा 376, धारा 376 ए, धारा 376 बी, धारा 376 सी, धारा 376 डी, धारा 376 इ या धारा 509 के तहत दंडनीय संज्ञेय अपराध के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 (1) के तहत उसे दी गई सूचना को रिकार्ड करने में विफल रहता है।
- **सजा:** 6 माह से दो वर्ष तक का सश्रम कारावास और जुर्माना

गिरफ्तारी/नजरबंदी/पूछताछ के मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश

डी. के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (AIR 1997 SC 610) आदेश दिनांकित 18/12/96

- गिरफ्तारी करने और गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करने वाले पुलिस कर्मियों को सही, नजर आने वाली, स्पष्ट पहचान और पदनाम सहित नाम टैग लगाने चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करने वाले ऐसे पुलिस कर्मी के विवरण रजिस्टर में दर्ज किए जाने चाहिए।

[48] http://www.theindiankanoon.com/2013/07/section-436a-of-crpc-code-of-criminal.html

यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा पर कानून (यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2012)

- गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मी को गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का एक मीमो तैयार करना चाहिए और इस मीमो को कम से कम एक गवाह द्वारा सत्यापित कराना चाहिए, जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य या उस जगह का कोई सम्मानित व्यक्ति हो सकता है, जहां से गिरफ्तारी की गई है। इस पर गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे और गिरफ्तार करने की तारीख और समय अंकित किया जाएगा।
- व्यक्ति, जिसे गिरफ्तार या नजरबंद किया गया है और जिसे पुलिस स्टेशन या पूछताछ केन्द्र या अन्य लॉकअप में हिरासत में रखा जा रहा है, उसे यह अधिकार होगा कि जितनी जल्दी हो सके उसके किसी दोस्त, संबंधी या उसे जानने वाले किसी व्यक्ति, जो उसका शुभचिंतक हों, को सूचित किया जाए कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे उस स्थान विशेष में नजरबंद रखा जा रहा है जब तक कि गिरफ्तारी के मीमो को सत्यापित करने वाला गवाह वह खुद या उसका ऐसा दोस्त या संबंधी न हों।
- गिरफ्तारी का समय, स्थान और गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में रखने के स्थान की सूचना पुलिस को कानूनी सहायता संगठन के जरिये जिला या शहर से बाहर रहने वाले उसके दोस्त, संबंधी या संबंधित क्षेत्र को पुलिस स्टेशन को गिरफ्तार करने के 8 से 12 घंटे के अंदर टेलीग्राफ द्वारा देनी चाहिए।
- गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी या नजरबंदी पर जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी या नजरबंदी की सूचना किसी को देने के उसके अधिकार के बारे में बताया जाना चाहिए।
- गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में नजरबंदी के स्थान में डायरी में प्रविष्टि अवश्य की जानी चाहिए, जिसमें नजदीकी दोस्त के नाम का भी उल्लेख होना चाहिए, जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई है और उस पुलिसकर्मी का नाम और विवरण होना चाहिए, जिसकी हिरासत में गिरफ्तार व्यक्ति है।
- गिरफ्तार व्यक्ति अगर ऐसा अनुरोध करता है, तो उसकी जांच उसकी गिरफ्तारी के समय की जाएग और उसके शरीर पर मौजूद छोटी बड़ी सभी चोटों, यदि कोई हों, को उस समय दर्ज किया जाना चाहिए। "निरीक्षण मीमो" पर गिरफ्तार व्यक्ति और गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए और इसकी प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को दी जानी चाहिए।
- प्रत्येाक 48 घंटे में प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा चिकित्सा जांच के अध्यधीन गिरफ्तार व्यक्ति की हिरासत में संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा नियुक्त अनुमोदित डाक्टरों के पैनल वाले डॉक्टर द्वारा की जानी चाहिए। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं को सभी तहसील और जिलों के लिए इस तरह का पैनल बनाना चाहिए।
- ऊपर बताए गए गिरफ्तारी मीमो सहित सभी दस्तावेजों की प्रतियां स्थानीय मजिस्ट्रेट को उसके रिकार्ड के लिए भेजी जानी चाहिए।
- गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान, अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए, हालांकि यह पूरी पूछताछ अवधि के लिए नहीं होगी।
- सभी जिला और राज्य मुख्यालयों में एक पुलिस नियंत्रण कक्ष बनाया जाना चाहिए, जहां गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी द्वारा गिरफ्तार करने के 12 घंटे के अंदर गिरफ्तारी और गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में रखने की सूचना दी जाएगी और पुलिस नियंत्रण कक्ष में यह विशिष्ट पुलिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।[49]

स्पष्टीकरण - इसमें ऊपर बताई गई शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहने पर संबंधित अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई के अलावा उसे न्यायालय की अवमानना करने का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और देश के किसी उच्च न्यायालय, जिसके क्षेत्राधिकार में यह मामला आता हों, में न्यायालय की अवमानना का मुकदमा चलाया जा सकता है।

[49] http://www.kolkatapolice.gov.in/ArrestedPersonsRights.aspx

अपराधों का सारांश			
अपराध	**अपराधियों के प्रकार**	**कार्यवाही का प्रकार**	**सजा**
पेनिट्रेटिव यौन हमला	कोई भी व्यक्ति	बच्ची के साथ पेनिट्रेशन का कोई भी रूप या अपराधी या किसी अन्य व्यक्ति के लिए बच्चे को पेनिट्रेट के लिए मजबूर करना	7 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना
संवर्धित पेनिट्रेटिव यौन उत्पीड़न	पुलिस अधिकारी; सशस्त्र बल कर्मी; धार्मिक संस्थान का प्रबंधन या स्टॉफ; बच्चों को सेवा प्रदान करने वाले संस्थान का प्रबंधन या स्टॉफ; सार्वजनकि सेवाएं	गैंग पेनिट्रेशन; HIV का कारण बनना; गर्भ ठहरने का कारण बनना; शारीरिक या मानसिक विकलांगता का फायदा उठाना	10 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना
यौन उत्पीड़न	कोई भी व्यक्ति	यौन उत्पीड़न में पेनिट्रेशन के अलावा या बगैर सभी कृत्य शामिल हैं जो यौनिक इरादे से किए जाते हैं	3 से 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना
संवर्धित यौन उत्पीड़न	संवर्धित पेनिट्रेटिव यौन उत्पीड़न के समान	संवर्धित पेनिट्रेटिव यौन उत्पीड़न के समान	5-7 वर्ष का कारावास और जुर्माना
यौन उत्पीड़न	कोई भी व्यक्ति	यौन उत्पीड़न तब माना जाता है जब व्यक्ति यौन इरादे से निम्नलिखित कार्य करता है: • यौन लक्ष्यार्थ कोई कृत्य करना • बच्च /बच्ची से उसके शरीर को दिखवाना • बच्चे को अश्लील साहित्य दिखाना • एक ही कृत्य को बार-बार दोहराना	3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
अश्लील उद्देश्य के लिए बच्चे का इस्तेमाल करना	कोई भी व्यक्ति	बच्चे के यौन अंगों को दिखाना; रील या कृत्रिम यौन कृत्यों में बच्चे का इस्तेमाल करना (पेनिट्रेशन के साथ या बगैर); बच्चे् का अश्लील या अभद्र प्रदर्शन करना	पहले अपराध के लिए: 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना दूसरे या उसके बाद के अपराध के लिए: 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
बच्चे की प्रोनोग्राफी में सीधे भाग लेना	कोई भी व्यक्ति	यौन उत्पीड़न; पेनिट्रेटिव यौन उत्पीड़न; यौन उत्पीड़न; संवर्धित अपराध	किए गए यौन अपराध के आधार पर आजीवन कारावास तक और जुर्माना
बाल प्रोनोग्राफी रखना	कोई भी व्यक्ति	वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए रखना	3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
उकसाना	कोई भी व्यक्ति	उक्त् अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को भड़काना; उक्त अपराध को करने के लिए किसी साजिश में एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों के साथ शामिल होना; उक्त अपराध को करने में किसी कृत्य या गैरकानूनी चूक द्वारा सहायता करना	उकसावे का कृत्य उक्त कृत्य के लिए सजा योग्य माना जाएगा
अपराध का प्रयास		इस अधिनियम के तहत कोई अपराध करने का प्रयास करना; ऐसे अपराध का कारण होना; अपराध होने के लिए कोई कृत्य करना	किए गए अपराध के लिए सबसे लंबे कारावास की आधी अवधि तक के लिए करावास या जुर्माने के साथ या दोनों
अपराध की सूचना दर्ज करने में विफल होना	कोई भी व्यक्ति		5 माह तक कारावास और जुर्माना
अपराध की रिपोर्ट और रिकार्ड करने में विफल होना	संस्थान का प्रभारी		1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
मीडिया उल्लंघन		बच्चेा की पहचान या किसी अन्य सूचना की रिपोर्टिंग करना जिससे बच्चे की पहचान उजागर हो सकती है	6 से 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना
झूठी सूचना देना या झूठी शिकायत करना	18 वर्ष से बड़ा कोई भी व्यक्ति	अपमानित, धमकी, बदनाम या उगाही की नीयत से झूठी सूचना देना या झूठी शिकायत करना	1 वर्ष तक करावास + जुर्माना (अगर बच्चा है तो कोई सजा नहीं होगी)

व्यक्तियों और संस्थानों की जिम्मेदारी

मीडिया; लोक निकाय; सेवा प्रदाता; संस्थान् की जिम्मेदारी है की ऐसे अपराध के साक्ष्य की रिपोर्ट करना जो इस अधिनियम के तहत हुआ है

कार्यविधि

- विशेष किशोर पुलिस यूनिट (SJPU) या स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट करना। पुलिस प्रविष्टि संख्यां के साथ लिखित में रिकार्ड करेगी।
- बच्चे को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा
- बाल कल्याण समिति
- अगर आवश्यकता है तो अनुवादक मुहैया कराना चाहिए
- अगर बच्चे को देखरेख या सुरक्षा की आवश्यकता है- तो उसे 24 घंटे के अंदर शेल्टर होम या अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए और फोरेंसिक जांच हेतु लिए गए नमूने यथाशीघ्र फोरेंसिक प्रयोगशाला को भेजे जाने चाहिए
- माता-पिता या संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति, जिस पर बच्चे को विश्वास और यकीन है, की उपस्थिति में आपात चिकित्सा व्यवस्था इस विधि से मुहैया करानी चाहिए जो बच्चे की निजता की रक्षा करने वाली हों
- बच्चे को आपात चिकित्सा मुहैया करा रहा कोई भी पेशेवर चिकित्सक, अस्पताल या अन्य स्वास्थ्य केन्द्र ऐसी देखभाल मुहैया कराने की पूर्वशर्त के रूप में किसी विधिक या मजिस्ट्रेट मांग या अन्य प्रलेखन की मांग नहीं करेगा।
- 24 घंटे के अंदर विशेष न्यायालय को रिपोर्ट की जानी चाहिए
- ऐसी सूचना की रिपोर्ट प्राप्त करने वाला SJPU या स्थानीय पुलिस रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को तुरंत निम्नलिखित विवरण देगा:-
    - » उसका नाम और पदनाम;
    - » पता और टेलीफोन नंबर;
    - » सूचना प्राप्त करने वाले अधिकारी की निगरानी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम और संपर्क विवरण।

विशेष प्रावधान/सिद्धांत

- अगर महिला पीड़ित की चिकित्सा जांच करनी जरूरी है तो यह महिला डॉक्टर द्वारा की जानी चाहिए
- सभी चिकित्सा जांच तुरंत और बच्चे के वकील (बच्चे या उसके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा चुना गया) की उपस्थिति में होनी चाहिए
- बयान बच्चे के वकील (बच्चे या उसके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा चुना गया) के साथ लिए जाने चाहिए
- बयान गैर-वर्दीधारी पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जाना चाहिए
- बच्चे के परिवार या संरक्षक को विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिये उनकी पसंद की कानूनी सलाह दी जानी चाहिए
- बच्चे के परिवार या संरक्षक को सलाह मुहैया करानी चाहिए और ऐसे व्यक्ति से संपर्क करने में उनकी मदद करनी चाहिए जो ये सेवाएं और राहत प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं
- विशेष न्यायालय उपयुक्त मामलों में अपने आप या बच्चे द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद किसी भी चरण में राहत एवं पुनर्वास के लिए बच्चे की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतरिम मुआवजा का आदेश पारित कर सकता है। अंतरिम मुआवजे की राशि अंतिम मुआवजे, यदि कोई हों, से समायोजित की जाएगी।
- विशेष न्यायालय अपने आप या पीड़ित द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य द्वारा आवेदन करने पर ऐसे मामलों में मुआवजा के अवार्ड की सिफारिश कर सकता है, जिनमें आरोपी दोषी सिद्ध हो गया है या जिनमें रिहाई हो गई है या आरोपी तलाशा या पहचाना नहीं गया है और विशेष न्यायालय की राय में उक्त अपराध के कारण बच्चे को हानि या चोट का सामना करना पड़ा है।

स्पष्टीकरण - बाल अधिकारों की सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय समिति इस कानून के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी

बाल यौन उत्पीड़न के मुद्दे को संबोधित करने में मीडिया के लिए NHRC दिशानिर्देश

- मीडिया को जनता की जानकारी और सार्वजनिक बहस के दायरे में रहकर बाल उत्पीड़न के मुद्दे को उठाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि यौन शोषण के मुद्दे को अधिकारों के घोर उल्लंघन के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि केवल बच्चों के खिलाफ अपराध के रूप में।
- मीडिया को मुद्दे के संवेदनशील और अर्थपूर्ण प्रस्तुति एवं कवरेज के जरिये बाल यौन शोषण की घटनाओं पर नैतिक आक्रोश और आक्रोश की भावना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। मीडिया को तथ्यों, संदर्भ और परिस्थितियों का पता लगाने में सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्ट घटना के संदिग्ध गवाहों के सतही साक्षात्कार के आधार पर तैयार नहीं की जानी चाहिए।
- मीडिया को बाल शोषण की घटना विशेष को सनसनीखेज बनाने, प्रलोभन देने से बचना चाहिए।
- मीडिया को यौन शोषण की घटना की रिपोर्ट करने के बाद, बाद में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इस पर की गई कार्रवाई की भी रिपोर्ट करनी चाहिए और तब तक रिपोर्ट करते रहना चाहिए जब तक कि अपराधी के खिलाफ कार्रवाई न हो जाएं।
- मीडिया को अपराधी को अनुचित प्रमुखता देकर यौन उत्पीड़न के कृत्य को अनजाने में गौरवान्वित नहीं करना चाहिए।
- पीड़ित को और अधिक सताया नहीं जाना चाहिए या उसे उस आघात से बाहर निकलने देने चाहिए, जिससे वो गुजरी है।
- किसी भी स्थिति में मीडिया पीड़ित की पहचान का खुलासा या उजागर नहीं करेगा। पीड़ित द्वारा पहली बार अपना अनुभव बताने के दौरान मास्किंग तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। पीड़ित, रिश्तेदार और संबंधित व्यक्तियों को गोपनीयता के लिए आश्वस्त किया जाना चाहिए।
- मीडिया को तस्वीर या संकेतों द्वारा बच्चे के लिंग भेद में कामी रूचि पैदा नहीं करनी चाहिए।
- बच्चे को निष्क्रिय बच्चें के रूप में सामने नहीं लाना चाहिए।
- बच्चे के यौन उत्पीड़न की ओर ध्यान खींचने के अलावा, मीडिया को जनता को यह भी समझाना चाहिए कि ऐसी घटनों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है और यदि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या किया जाना चाहिए तथा कानूनी एवं अन्य उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए।
- मीडिया को अपने लक्षित श्रोताओं को बाल उत्पीड़न की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में बच्चों के अधिकारों और उसे उपलब्ध कानूनी उपायों के बारे में बताना चाहिए।
- मीडिया को एक ऐसी प्रणाली का विकास करना चाहिए जिसमें श्रोता/दर्शक प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम की क्वालिटी और प्रभाव पर टिप्पणी/मूल्यांकन कर सकें।
- मीडिया को बाल यौन उत्पीड़न की रोकथाम की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, उत्पीड़क के खिलाफ की गई

कार्रवाई, चुनिंदा एनजीओ के कार्य के दस्तावेज तैयार करने चाहिए और इनका व्यापक प्रचार और प्रसार करना चाहिए।

- मीडिया को अपनी सभी रिपोर्टिंग में बच्चे के अधिकारों पर कन्वेंशन में यथा अपेक्षित बच्चे के सर्वोतम हित के सिद्धांत द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकों पर कानून (लिंग चयन का प्रतिषेध) 1994

इस कानून का उद्देश्य है:

- लिंग चयन का प्रतिषेध (गर्भधारण से पहले या बाद में)
- आनुवंशिक या चयापचय विकारों, गुणसूत्र संबंधी असमान्यताओं, या कतिपय जन्मजात विकृति या यौन संबंधी विकार का पता लगाने की प्रसव पूर्व तकनीकों को विनयमित करना
- कन्य भूर्ण हत्या के लिए लिंग निर्धारण के उद्देश्य के लिए इन तकनीकों के दुरूपयोग को रोकना

लिंग चयन का क्या अर्थ है?

धारा 2 के अनुसार लिंग चयन में शामिल हैं :

- प्रक्रिया
- तकनीक
- परीक्षण
- प्रबंधन
- पर्चा (प्रिस्क्रिप्शन)
- प्रावधान

यह सुनिश्चित करने या संभावना को बढ़ाने के लिए भ्रूण एक लिंग विशेष का होगा।

आनुवंशिक परामर्श केन्द्रों, प्रयोगशालाओं और क्लिनिक का विनियमन

धारा 3 के अनुसार कोई भी आनुवंशिक केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक :

- जब तक कि पंजीकृत न हो, प्रसव पूर्व निदान तकनीक से संबंधित क्रियाकलाप, इसमें सहयोग या सहायता नहीं कर सकता
- किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति या उसकी सेवाएं (बिना वेतन या वेतन) नहीं ले सकता जिसके पास योग्यताएं नहीं हैं।

याद रखने योग्य बातें :

कोई भी मेडिकल आनुवंशिकीविद, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर या अन्य व्यक्ति प्रसव पूर्व तकनीक का स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की मदद या संचालन तकनीकी परीक्षण हेतु पंजीकृत स्थान के अलावा नहीं करेगा।

प्र. क्या कानून प्रसवपूर्व निदान तकनीकें करने की अनुमति देता है?

हां। धारा 4 (1) के अनुसार प्रसवपूर्व निदान तकनीकों का इस्तेमाल करने की अनुमति केवल निम्नलिखित का पता लगाने के लिए दी जा सकती है:

- गुणसूत्र संबंधी असमान्यताएं
- आनुवंशिक चयापचय रोग
- हीमोग्लोबीनोपैथी

- लिंग संबंधी विकार
- जन्म जात विकार
- केन्द्रीय निगरानी बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अन्य् अनियमितता या रोग

प्र. प्रसवपूर्व तकनीकों का इस्तेमाल कब किया जा सकता है?

प्रसवपूर्व तकनीकों का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब निम्नलिखित में से कोई लक्षण/अवस्था मौजूद हों:

- गर्भवती महिला की आयु 35 वर्ष से अधिक है
- गर्भवती महिला के दो या अधिक तात्क्षणिक गर्भपात या भ्रूण हानि हो चुकी हों
- गर्भवती महिला को ड्रग्स, विकिरण, संक्रमण या रसायनों जैसे किसी संभावित टेराटोजेनिक एजेंट्स के संपर्क में आई हों
- गर्भवती महिला या उसके पति के परिवार में मानसिक मंदता या शारीरिक विकृति जैसे स्पास्टिसिटी या अन्यि आनुवंशिक रोग का इतिहास रहा है
- केन्द्रीय निगरानी बोर्ड द्वार विनिर्दिष्ट अन्य कोई लक्षण/अवस्था

याद रखने योग्य बातें:

यह अनिवार्य है कि गर्भवती महिला की अल्ट्रासोनोग्राफी करने वाला व्यक्ति क्लिनिक में पूरा रिकार्ड रखें।

रिकार्ड में कोई कमी या गलती पाए जाने पर इसे धारा 5 या धारा 6 का उल्लंघन माना जाएगा।

प्र. कोई व्यक्ति प्रसवपूर्व निदान प्रोसीजर कब करा सकता है?

धारा 5 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति प्रसव पूर्व निदान तब तक नहीं करा सकता जब तक कि:

- गर्भवती महिला को सभी ज्ञात दुष्प्रभावों और बाद के प्रभावों के बारे में समझा न दिया जाए
- प्रोसीजर कराने के लिए उसको समझ आने वाली भाषा में लिखित में उसकी सहमति न ली जाएं
- उसकी लिखित सहमति की प्रति गर्भवती महिला को न दी जाएं।
  - » नियम 10 (1ए) के अनुसार गर्भवती महिला की अल्ट्रासोनोग्राफी/इमेज स्कैनिंग करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्येक रिपोर्ट में यह घोषणा करनी होगी कि उसने भ्रूण के लिंग का न तो पता लगाया है और न ही इसके बारे में किसी को बताया है।
  - » अल्ट्रानसोनोग्राफी/इमेज स्कैनिंग कराने से पहले गर्भवती महिला को यह घोषणा करनी चाहिए कि वह अपने भ्रूण के लिंग के बारे में नहीं जानना चाहती है।

स्थानों पर रोक

धारा 6 (ए) के अनुसार कोई भी आनुवंशिक परामर्श केन्द्र या क्लिनिक या प्रयोगशाला:

भ्रूण का लिंग निर्धारण करने के उद्देश्य से प्रसवपूर्व तकनीक, जिसमें अल्ट्रासोनोग्राफी शामिल है का इस्तेमाल नहीं करेगा।

नियम 17 (1) के अनुसार प्रत्येक आनुवंशिक परामर्श केन्द्र या क्लिनिक या प्रयोगशाला अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में इस सूचना को प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा कि भ्रूण के लिंग के लिंग निर्धारण जांच/खुलासा करना मना है।

धारा 19 (4) के अनुसार, पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

व्यक्तियेां पर

धारा 18 (1)

के अनुसार कोई भी व्यक्ति:

- कोई भी आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, क्लिनिक या प्रयोगशाला, जिनमें

क्लिनिक, प्रयोगशाला या केन्द्र, जिसके पास अल्ट्रासाउंड या इमेजिंग मशीन या स्कैनर या कोई अन्य टेक्नोलॉजी, जो भ्रूण के लिंग या लिंग चयन में समर्थ है, तब तक नहीं खोलेगा, जब तक कि ऐसे केन्द्र, क्लिनिक या प्रयोगशाला विधिवत रूप से प्रथत: या संयुक्त रूप से पंजीकृत न हों।

- किसी केन्द्र को कोई सेवा प्रदान नहीं करेगा जब तक कि ऐसा केन्द्र विधिवत रूप से पंजीकृत न हों।

धारा 4 (4)

के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जिसमें गर्भवती महिला का रिश्तेदार या पति शामिल है, उसके लिए चिकित्सक कारणों को छोड़कर किसी प्रसव पूर्व निदान तकनीक करने की मांग या उसे प्रोत्साहित नहीं करेगा।

धारा 4 (5)

के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसमें गर्भवती महिला का रिश्तेदार या पति शामिल है, उसके लिए या अपने लिए या दोनों के लिए लिंग चयन तकनीक करने की मांग या उसे प्रोत्सा्हित नहीं करेगा।

धारा 6 (बी)

के अनुसार कोई भी व्यक्ति लिंगनिर्धारण के उद्देश्य के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी सहित कोई भी प्रसव पूर्व निदान तकनीक का प्रयोग नहीं करेगा या उसका कारण नहीं बनेगा।

धारा 6 (सी)

के अनुसार कोई भी व्यकि गर्भधारण से पहले या बाद में लिंग चयन की अनुमति नहीं देगा।

धारा 3 ए

के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जिसमें प्रजनन क्षेत्र का विशेषज्ञ या विशेषज्ञों की टीम शामिल है, किसी महिला या पुरुष या दोनों या उन दोनों या उनमें से किसी एक के कोई भी ऊत्ति गर्भस्थ भ्रूण, कान्सेवप्ट्सज, द्रव्य या गेमेट्स का न तो प्रबंधन करेगा, न उसमें सहायता करेगा या अन्य किसी व्यक्ति से करवाएगा

धारा 3 बी

के अनुसार कोई भी व्यक्ति कोई अल्ट्रासाउंड मशीन या इमेजिंग मशीन या स्कैनर या कोई अन्य उपस्कर जो भ्रूण के लिंग निर्धारण में समर्थ हों, की बिक्री किसी आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करेगा जो अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हैं।

धारा 5 (2)

के अनुसार यह गैरकानूनी है। कोई भी व्यक्ति, जिसमें प्रसव पूर्व निदान प्रोसीजर करने वाला व्यक्ति शामिल है, गर्भवती महिला, या उसके रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति को भ्रूण के लिंग के बारे में शब्दों, इशारों या किसी अन्य तरीके से नहीं बताएगा।

विज्ञापन का प्रतिषेध

धारा 22 (1)

के अनुसार कोई भी व्यक्ति, संगठन, आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक, जिनमें क्लिनिक, प्रयोगशाला या केन्द्र शामिल हैं, जिसके पास अल्ट्रासाउंड या इमेजिंग मशीन या स्कैनर या कोई अन्य टेक्नोलॉजी है, जो भ्रूण के लिंग या लिंग चयन में समर्थ है, वह: जारी; प्रकाशित; वितरित; प्रसारित नहीं करेगा:

ऐसे केन्द्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक या किसी अन्ये स्थान पर उपलब्ध प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण या गर्भधारण से पहले लिंग चयन की सुविधाओं के संबंध में इंटरनेट सहित किसी भी रूप में कोई विज्ञापन नहीं करेगा।

धारा 22 (2)

के अनुसार कोई भी व्यक्ति, संगठन जिनमें आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक शामिल हैं, जारी, प्रकाशित, वितरित, प्रसारित नहीं करेगा:

किसी भी माध्यम द्वारा, चाहे यह वैज्ञानिक भी हों, प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण या गर्भधारण पूर्व लिंग चयन का कोई विज्ञापन ।

धारा 3बी और नियम 3ए

के अनुसार कोई भी व्यक्ति: बिक्री; वितरण; आपूर्ति; किराये पर; अनुमति या अधिकृत कोई अल्ट्रासाउंड मशीन या इमेजिंग मशीन या स्कैनर या कोई अन्य उपकरण, जो लिंग का पता लगाने में समर्थ हों, का प्रयोग भुगतान पर या अन्यथा किसी आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक या किसी अन्य व्यक्ति या निकाय, जो पंजीकृत नहीं है, को नहीं करने देगा।

नोट : व्यक्ति का तात्पर्य अल्ट्रासाउंड मशीन, इमेजिंग मशीन या किसी अन्य उपकरण जो भ्रूण का लिंग पता लगाने में समर्थ हों, के निर्माता, आयात, डीलर या वाणिज्यिक संगठन सप्लायर से है।

अपराध

व्यक्तियों द्वारा अगर कोई व्यक्ति ऊपर बताए गए निषेधों के विपरीत कृत्य करता है तो वह निम्नलिखित दंड का भागी हो सकता है:

- 3 वर्ष तक का कारावास
- ₹ 10000 तक जुर्माना

इसके बाद का कोई दोष सिद्ध होने पर:

- 5 वर्ष तक का कारावास और
- ₹ 50,000 तक का जुर्माना

अगर कोई व्यक्ति धारा 4(2), में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों से इतर उद्देश्य के लिए गर्भवती महिला के संबंध में उपरोक्त वर्णित किसी निकाय या व्यक्तियों से लिंग चयन या प्रसवपूर्व निदान तकनीक करने के लिए सहायता मांगता है तो वह निम्नलिखित दंड का भागी होगा:

- कारावास, जिसे तीन वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है; और
- जुर्माना जिसे ₹ 50000 तक बढ़ाया जा सकता है।

इसके बाद का कोई दोष सिद्ध होने पर:

- कारावास, जिसे 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है; और
- जुर्माना, जिसे एक लाख रु. तक बढ़ाया जा सकता है।

अगर कोई उपयुक्त प्राधिकारी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए डॉक्टर का नाम राज्य चिकित्सा परिषद को भेजेगा तो:

- अगर न्यायालय द्वारा आरोप तय किए जाते हैं तो मामले पर अंतिम फैसला होने तक पंजीकरण स्थगित किया जाएगा और
- दोषी सिद्ध होने पर उसका नाम परिषद के रजिस्टर से निम्नलिखित अवधि के लिए हटा दिया जाएगा:
  - पहले अपराध के लिए पांच वर्ष के लिए
  - इसके बाद के अपराध के लिए हमेशा के लिए।

गर्भवती महिला, जो प्रसवपूर्व निदान तकनीक कराती है, का पति या रिश्तेदार के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने प्रसवपूर्व निदान तकनीक कराने के लिए महिला को मजबूर किया है

- धारा 23 (3) के तहत अपराध के लिए उकसाने के लिए उत्तरदायी
- धारा 23 (3) के तहत अपराध के लिए दंडनीय

नोट : धारा 23 (3) उस महिला पर लागू नहीं है, जिसे निदान तकनीक या चयन करने के लिए मजबूर किया गया था।

अगर कोई व्यक्ति अधिनियम के किसी प्रावधान या नियम, जिनके लिए कोई

जुर्माना निर्दिष्ट नहीं किया गया है, का उल्लंघन करता है तो वह निम्नलिखित सजा/जुर्माने का पात्र होगा:

- 3 माह तक का कारावास या
- ₹ 1000 तक जुर्माना या
- दोनों (करावास और जुर्माना)

बाद के किसी उल्लंघन के लिए दोषी साबित होने पर प्रत्येक दिन के लिए ₹ 500 तक का अतिरिक्त जुर्माना, जिसके दौरान पहली बार दोषी सबित होने के बाद ऐसा उल्लंघन जारी रहता है।

प्र. न्यायालय अपराध का संज्ञान कब ले सकता है?

उत्तर: धारा 28 के अनुसार, न्यायालय निम्न के द्वारा शिकायत करने पर अपराध का संज्ञान लेगा-

- केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या उपयुक्त प्राधिकरण की ओर से कोई उपयुक्त प्राधिकारी या कोई अन्य अधिकृत अधिकारी; या
- वो व्यक्ति जो जिसने उपयुक्त प्राधिकारी को कथित अपराध के संबंध में 15 दिन से अधिक अवधि का नोटिस दिया हों और जिसका इरादा न्यायालय को शिकायत करने का हों।

स्पष्टीकरण : व्यक्ति में एनजीओ शामिल है

प्र. कौन से न्यायालय इन अपराधों पर विचार कर सकते हैं?

उत्तर: मेट्रोपेलिटन मजिस्ट्रेपट या प्रथम श्रेणी न्यालयिक मजिस्ट्रेट इस कानून के तहत दंडनीय अपराध पर विचार कर सकेगा।

स्पष्टीकरण : धारा 27 के अनुसार, प्रत्येक अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय अपराध।

© Breakthrough/India

लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए सरकारी कार्यक्रम और योजनाएं

किशोरों विशेषकर किशोर लड़कियों का सशक्तिकरण देश और सरकार के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है।

लड़कियों और महिलाओं के लिए विभिन्न कानूनों के साथ भारत का संविधान लड़कियों और महिलाओं को पेश आ रही शैक्षणिक, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करने के उपाय अपनाने के लिए राज्य को समर्थ बनाता है। मौलिक अधिकार इन्हीं में से एक है जो कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। यह धर्म, वर्ण, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर किसी नागरिक के खिलाफ भेदभाव को निषेध करता है और रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 15(3), 16, 39(ए), 39(बी), 39(सी) और 42 का इस संबंध में विशेष महत्व है।

केन्द्र और राज्य सरकारों ने महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं।

लाडली लक्ष्मी योजना (मध्य प्रदेश)

यह कहां कार्यान्वित की जा रही है?

मध्य प्रदेश में

इसका उद्देश्य क्या है?

राज्य सरकार ने समाज में लड़कियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की है। इस पहल के द्वारा लिंग अनुपात, लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार और उनके भविष्य की बेहतर बुनियाद तैयार करने में मदद मिलने की आशा है।

इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं?

एक साल की लड़की और आंगनवाड़ी में नामांकन वाली लड़की के लिए इस योजना का लाभ उपलब्ध़ है। 5 साल की उम्र तक विशेष मापदंड के साथ।

इसकी मुख्य ख़ूबियां और लाभ क्या हैं?

पंजीकरण के समय, ₹ 6000 का राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र दिया जाएगा और आगामी चार वर्ष के लिए ₹ 6000 का एनएससी प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस प्रकार योजना के तहत पंजीकृत प्रत्येक लड़की के नाम से डाकघर से कुल
₹ 30000 के एनएससी लिए जाते हैं। लाभार्थियों को भुगतान निम्नलिखित चरणों और किश्तों में किया जाता है:

- कक्षा 6 में प्रवेश के समय : ₹ 2,000
- कक्षा 9 में प्रवेश के समय : ₹ 4,000
- कक्षा 11 में प्रवेश के समय : ₹ 7,500
- कक्षा 11 और 12 के लिए - दो वर्ष के लिए ₹ 200 प्रतिमाह
- 18 वर्ष पूरे होने पर लाभार्थी को 1 लाख रु. दिए जाएंगे

बालिका सुरक्षा योजना

यह कहां कार्यान्वित की जा रही है?

आन्ध्र प्रदेश में।

इसके क्या उद्देश्य हैं ?

इस योजना का उद्देश्य सरकार द्वार प्रत्यक्ष निवेश के जरिये लड़कियों के अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के द्वारा लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकना है।

इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं?

एक लड़की या केवल दो लड़की वाले परिवार, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹ 20000 और शहरी क्षेत्र में ₹ 24000 से कम हों। यह कुछ अन्य मापदंड पूरे करने के अधीन हैं।

इसकी मुख्य ख़ूबियां और लाभ क्या हैं?

इस योजना के अंतर्गत पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन है:

- एक लड़की के मामले में वह 20 वर्ष की आयु पूरी करने पर 1 लाख रु. पाने की पात्र है।
- दो लड़कियों के मामले वे दोनों 20 वर्ष की आयु पूरी करने पर 30-30 हजार रु. पाने की पात्र हैं।
- 'सिंगल लड़की' और 'दो लड़कियां' दोनों अपनी पढ़ाई के दौरान कक्षा 9 से 12वीं (आईटीआई कोर्स सहित) छात्रवृत्ति के रूप में ₹ 1200 प्रतिवर्ष पाने की पात्र हैं।
- अगर बीमाकृत अभिभावक सदस्यु की मृत्यु हो जाती है, और उस अवधि में जनश्री बीमा योजना की अंतिम तारीख से वह बीमाकृत है तो लाभार्थी निम्नानुसार भुगतान पाने का हकदार होगा:

- बीमाकृत व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु पर - ₹ 30,000
- दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता - ₹ 75,000
- दुर्घटना के कारण आंशिक विकलांगता - ₹ 37,500

धनलक्ष्मी योजना (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)

यह कहां कार्यान्वित की जा रही है?

आन्ध्र प्रदेश, छत्तीससगढ़, बिहार, ओडिशा, झारखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में

इसके क्या उद्देश्य हैं?

वित्तीय सहायता के जरिये लड़कियों के लिए बेहतर उत्तरजीविता और जीवन सुनिश्चित करना। इससे परिवारों में लड़कियों के प्रति इस धारणा में बदलाव लाने में मदद मिलेगी कि लड़कियां आर्थिक बोझ होती हैं।

इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं?

परिवार विशेषकर लड़की की मां। यह योजना 19 नवंबर, 2008 के बाद जन्मी सभी लड़कियों पर लागू है।

इसकी मुख्य खूबियां और लाभ क्या हैं?

धन लक्ष्मी योजना	
शर्त	**रकम (रु. मे)**
टीकाकरण	
6 हफ्तों में	200
14 हफ्तों में	200
9 हफ्तों में	200
16 हफ्तों में	200
24 हफ्तों में	250
टीकाकरण पूरा करने पर	250
शिक्षा	
प्राइमरी स्कूल में नामांकन पर	
कक्षा 1 में + उपस्थिति	1,000
कक्षा 2 में + उपस्थिति	500
कक्षा 3 में + उपस्थिति	500
कक्षा 4 में + उपस्थिति	500
कक्षा 5 में + उपस्थिति	500
	500
माध्यमिक स्कूल में नामांकन पर	1,500
कक्षा 6 में + उपस्थिति	750
कक्षा 7 में + उपस्थिति	750
कक्षा 8 में + उपस्थिति	750
बीमा मैच्योरिटी कवर	----------

भाग्य लक्ष्मी योजना- कर्नाटक

यह कहां कार्यान्वित की जा रही है?

कर्नाटक में

इसके क्या उद्देश्य हैं?

परिवार में लड़कियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में लड़की के जन्म को बढ़ावा देना।

इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं?

कुछेक शर्तों को पूरा करने के अधीन माता/पिता और संरक्षक के जरिये 31 मार्च, 2006 के बाद बीपीएल परिवार में जन्मी सभी लड़कियां।

इसकी मुख्य खूबियां और लाभ क्या हैं?

इस योजना के अंतर्गत लाभ एक ही परिवार की केवल दो लड़कियों को मिल सकता है और परिवार में तीन से अधिक लड़कियों को नहीं मिल सकता। विभाग द्वारा विधिवत सत्यापन करने के बाद, जब लड़की का नामांकन किया जाता है तो प्रत्येक लाभार्थी को उसके नाम से सावधि जमा में निवेश करने के लिए
₹ 10000 दिए जाते हैं। वित्तीय संस्थान में जमा कराई गई रकम अधिकतम होगी और लाभार्थी के 18 वर्ष पूरा करने पर उपार्जित लाभ के साथ उसे इसका भुगतान किया जाएगा। 2008 में भाग्यलक्ष्मी योजना में संशोधन किया गया था। अब इस योजना के तहत पहली लड़की के नाम पर वित्तीय संस्थान में ₹ 10000 के स्थान पर ₹ 19300 और उसी परिवार की दूसरी लड़की के नाम पर ₹ 18350 जमा किए जाएंगे। 18 वर्ष की होने पर, पहली लड़की को शर्तों को पूरा करने के अधीन ₹ 100097 और दूसरी लड़की को ₹ 100052 दिए जाएंगे।

लडकी को अधिकतम ₹ 25000 प्रतिवर्ष का स्वास्थ्य बीमा कवर, कक्षा 10 तक ₹ 300 से ₹ 1000 की वार्षिक छात्रवृत्ति भी मिलती है। इन लाभों के अलावा, माता-पिता को लाभार्थी की दुर्घटना की स्थिति में 1 लाख रु. और मृत्यु की स्थिति में ₹ 42500 दिए जाते हैं। 18 साल के बाद लाभार्थी को ₹ 34751 दिए जाएंगे।[50]

लाडली योजना

यह कहां कार्यान्वित की जा रही है?

दिल्लीं में

इसके क्या उद्देश्य हैं?

इस योजना का उद्देश्यक समाज और परिवार में लड़की की सामाजिक स्थिति को मजबूत करना और लड़की को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपयुक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है।

इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं?

1 लाख रु. से कम वार्षिक आय के साथ आवदेन वाली तारीख से कम से कम तीन पिछले वर्षों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी निवासी।

इसकी मुख्य खूबियां और लाभ क्या हैं?

पात्र लड़की के लिए रकम निम्नलिखित तरीकों से जमा की जाती है:

- लड़की का जन्म राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किसी अस्पताल/नर्सिंग होम में होने पर ₹ 11000 ।
- लड़की का जन्म ऊपर वर्णित अस्पताल/नर्सिंग होम के अलावा कहीं और होने पर ₹ 10000
- लडकी का कक्षा 1 में प्रवेश के समय ₹ 5000
- लड़की का कक्षा 6 में प्रवेश के समय ₹ 50000
- लडकी का कक्षा 9 में प्रवेश के समय ₹ 50000
- लडकी का कक्षा 10 में प्रवेश के समय ₹ 50000
- लडकी का कक्षा 12 में प्रवेश के समय ₹ 50000[51]

बालिका समृद्धि योजना[52]

यह कहां कार्यान्वित की जा रही है?

बालिका समृद्धि योजना ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

[50] http://www.annalsofcommunityhealth.in/ojs/index.php/AoCH/pages/view/bhagyalakshmi से लिया गया
[51] http://wcddel.in/Notification.html से लिया गया
[52] http://wcdhry.gov.in/balika_samridhi_yojana.htm से लिया गया

इसके क्या उद्देश्य हैं?

लड़की के जन्म के बारे में नकारात्मक सोच में कमी लाना और 18 साल के बाद शिक्षा और विवाह को समर्थन देना।

इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं?

15 अगस्त 1997 के बाद जन्मी एक ही परिवार की दो लड़कियां।

इसकी मुख्य खूबियां और लाभ क्या हैं? - वार्षिक छात्रवृत्ति की कक्षा-वार रकम

कक्षा	रकम
1 से 3	प्रत्येक कक्षा के लिए ₹ 300 प्रतिवर्ष
चौथी	₹ 500 प्रतिवर्ष
पांचवी	₹ 600 प्रतिवर्ष
छठी से सातवीं	प्रत्येक कक्षा के लिए ₹ 700 प्रतिवर्ष
आठवीं	₹ 800 प्रतिवर्ष
नौवीं से 10वीं	प्रत्येक कक्षा के लिए ₹ 1000 प्रतिवर्ष

लाडली योजना

यह कहां कार्यान्वित की जा रही है?

हरियाणा में

इसके क्या उद्देश्य हैं?

इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या की समस्या से निपटना, संतुलित डीमोग्राफिक लिंग अनुपात पर बल देना, अधिक से अधिक लड़कियों के जन्मे में सहायता करना और महिलाओं एवं लड़कियों की जरूरतों को पूरा करना है।

इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं?

लड़की के सभी माता/पिता जो हरियाणा के निवासी हैं, या हरियाणा अधिवासी हैं, जिनकी दूसरी लड़की का जन्म 20 अगस्त, 2005 या उसके बाद हुआ है, वे जाति, पंथ, धर्म, आय या बेटों की संख्या पर ध्यान दिए बगैर नकद इंसेंटिव के पात्र हैं।

इसकी मुख्य खूबियां और लाभ क्या हैं?

- इस योजना के तहत, 20 अगस्त या उसके बाद जन्मी दूसरी बेटी के जन्म पर उसके माता/पिता को पांच वर्ष या योजना की विस्तावित अवधि के लिए हर साल ₹ 5000 दिए जाएंगे।
- अगर जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं तो इंसेंटिव तुरंत प्रभाव से शुरू हो जाएगा।
- माता/पिता को दोनों लड़कियों का उचित टीकाकरण सुनिश्चित करना चाहिए और टीकाकरण रिकार्ड (लडकी की उम्र के अनुसार) भुगतान की प्रत्येक किश्त प्राप्त करते समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- दोनों बहनों का नामांकन उनकी उम्र के अनुसार स्कूल/आंगनवाड़ी में किया जाना चाहिए।[53]

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना

यह कहां कार्यान्वित की जा रही है?

बिहार में

इसके क्या उद्देश्य हैं?

इस योजना से लिंग अनुपात बढ़ाने और जन्म के पंजीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

[53] http://wcdhry.gov.in/new_schemes_f.htm से लिया गया

इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं?

22 नवंबर, 2007 या उसके बाद जन्म लेने वाली एक ही बीपीएल परिवार की दो लड़कियां।

इसकी मुख्य खूबियां और लाभ क्या हैं?

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत, बिहार सरकार 22 नवंबर या उसके बाद जन्म लेने वाली गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार की प्रत्येक लड़की को ₹ 2000 देती है। यह लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवर की केवल दो लड़कियों को दिया जाता है। बिहार सरकार की ओर से महिला विकास निगम, पटना, बिहार द्वारा ₹ 2000 यूटीआई- चिल्ड्रनस कैरियर बैलेंस्ड प्लान-ग्रोथ ऑप्शन में निवेश कि जाते हैं। 18 वर्ष पूरा करने के बाद मैच्योयरिटी वैल्यु की रकम का भुगतान लड़की को किया जाएगा। बीच की अवधि के दौरान लड़की की मृत्यु होने की स्थिति में रकम महिला विकास निगम, पटना, बिहार को लौटाई जाएगी।[54]

इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना

यह कहां कार्यान्वित की जा रही है?

हिमाचल प्रदेश में

इसके क्या उद्देश्य हैं?

इस योजना का उद्देश्य घटते लिंग अनुपात में सुधार करना, छोटे परिवारों को बढ़ावा देना और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना है।

इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं?

इस योजना के लाभार्थी वे दंपति हैं, जिन्होंने एक लड़की या दो लड़की होने के बाद परिवार नियोजन का स्थायी तरीका अपनाया है। इसमें कोई लड़का नहीं होना चाहिए।

इसकी मुख्य खूबियां और लाभ क्या हैं?

सरकार एक ब्याज वाले खाते में एक लड़की के लिए ₹ 25000 जमा करेगी जो लड़की को मैचयोरिटी की उम्र पर दी जाएगी और ₹ 20000 उनको दिए जाएंगे जिनकी दो लड़कियां हैं।[55]

सर्व शिक्षा अभियान (SSA)

यह कहां कार्यान्वित की जा रही है?

पूरे देश में

इसके क्या उद्देश्य हैं?

6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना कर सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य् को हासिल करना

- सुनिश्चित करना कि सभी बच्चें स्कूल जाएं
- सुनिश्चित करना कि सभी 8 वर्ष की प्राथमिक स्कूलिंग को पूरा करें
- जीवन के लिए शिक्षा पर जोर देते हुए प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देना
- प्राथमिक स्तर पर सीमांत सामाजिक समूहों के बच्चों और लड़कियों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना
- सार्वभौमिक रिटेंशन को सुनिश्चित करना ताकि बच्चे स्कूल बीच में न छोडें

इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं?

6 से 14 वर्ष की लड़कियां और लड़कें[56]

इसकी मुख्य खूबियां और लाभ क्या हैं?

[54] http://www.business-standard.com/article/press-releases/successful-completion-of-one-year-of-mukhya-mantri-kanya-suraksha-yojana-109101400093_1.html से लिया गया

[55] http://www.himachalspider.com/resources/2383-Various- Programmes-Schemes-started-by-Himachal.aspx से लिया गया

[56] http://ssa.nic.in/ से लिया गया

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मुख्य खूबियां और लाभ	
प्राथमिक स्तर प्रत्येक बस्ती के एक किलोमीटर के अंदर और अपर प्राइमरी स्तर पर तीन किलोमीटर के अंदर स्कूल उपलब्ध कराना	कक्षा 8 तक सभी लड़कियों के लिए निशुल्क पाठ्य पुस्तकें
अपर प्राइमरी स्तर पर 'केवल कन्या' स्कूलों के लिए व्यवस्था करना	लड़कियों के लिए अलग शौचालय
स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों के लिए स्कूल वापस चलो शिविर	शिक्षण स्तरों का अंतर दूर करने के लिए विशेष प्रशिक्षण बड़ी लड़कियों के लिए ब्रिज कोर्स
समान शिक्षण अवसरों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक जागरूकता कार्यक्रम	लैंगिग-संवेदनशीलता शिक्षण-लर्निंग सामग्री पाठ्य पुस्तक सहित
समुदायों, पंचायत, स्कूल प्रबंधन समिति आदि को शामिल करके लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थायी मांग का निर्माण करने के लिए सघन सामुदायिक एकजुट प्रयास	लड़कियों की उपस्थिति और रिटेंशन सुनिश्चित करने में आवश्यकता आधारित हस्तक्षेप के लिए जिला प्रत्येक जिले को हर वर्ष लडकियों की शिक्षा के लिए 15 लाख से 50 लाख रु. का इनोवेशन फंड प्रदान करना।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

यह कहां कार्यान्वित की जा रही है?

पूरे देश में

इसके क्या उद्देश्य हैं?

माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना और सभी किशोर बच्चों के लिए इसकी क्वालिटी में सुधार करना।

इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं?

14 से 16 साल के सभी लड़के और लड़कियां

इसकी मुख्य खूबियां और लाभ क्या हैं?[57]

राष्ट्रीय माध्यम शिक्षा अभियान के अंतर्गत मुख्य खूबियां और लाभ	
प्रत्येक बस्ती के लिए 3 किलोमीटर की उचित दूरी के अंदर माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की उपलब्धता स्थानीय जरूरतों के आधार पर अनिवार्य बुनियादी सुविधाएं और परिवहन/आवासीय सुविधाएं	माध्यमिक स्तर पर निम्नलिखित सुविधाएं सुनिश्चित करना: • अतिरिक्त कक्षाएं • प्रयोगशालाएं • पुस्तकालय • कला एवं शिल्प कक्षाएं • शौचालय ब्लॉक • पेय जल की व्यवस्था
समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, शिक्षा की दृष्टि से कमजोर लड़कियों, विशेष जरूरत वाले बच्चों और अन्य सीमांत श्रेणियों जैसे अजा, अजजा, अपवि और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए विशेष संदर्भ	छात्र-अध्यापक अनुपात को घटाकर 30:1 पर लाने के लिए अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था: करने का लक्ष्य दूरवर्ती इलाकों में शिक्षकों के लिए आवासीय होस्टल मुहैया कराना
सभी माध्यमिक स्कूलों में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के मामले में वित्तीय सहायता के जरिये निर्धारित मानकों के अनुसार भौतिक सुविधाएं, स्टॉक् और आपूर्ति करना तथा अन्य स्कूलों के मामले में उपयुक्त नियामक प्रणाली मुहैया कराना	विज्ञान, गणित और अंग्रेजी की शिक्षा पर ध्यान देना, अध्यापकों को सेवाकाल के दौरान प्रशिक्षण देना विज्ञान प्रयोगशालाओं, आईसीटी समर्थ शिक्षा को अनिवार्य करना पाठयक्रम सुधार और शिक्षण-लर्निंग सुधारों को बढ़ावा देना। -

[57] http://mhrd.gov.in/rmsa से लिया गया

प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL)[58]

यह कहां कार्यान्वित की जा रही है?

पूरे देश में:

- पूरे देश में शिक्षा की दृष्टि से पिछडे खंड (EBBs) अर्थात् पहचाने गए खंड, जहां महिला शिक्षा दर 46.13% के राष्ट्रीय औसत से कम है और साक्षरता में लैंगिक अंतर 21.59% के राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- जिले के खंड जहां कम से कम 5 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी और अजा/अजजा महिला साक्षरता दर 10 प्रतिशत से कम है।
- चुने गए शहरी स्लम

इसके क्या उद्देश्य हैं?

विशेष हस्तक्षेप शुरू करके साक्षरता में लैंगिक अंतर को कम करना जो दूरवर्ती स्थानों मे रह रही लड़कियों के लिए शिक्षा और जीवन कौशल को सुलभ बनाते हैं। विशेष उद्देश्यों में शामिल हैं:

- मुश्किल हालातों और दूरवर्ती स्थानों में रह रही लड़कियों के लिए खंड-केन्द्रित परियोजनाएं तैयार करना
- लड़कियों को स्कूल तक पहुंच मुहैया करना और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें स्कूल में बनाए रखना
- शिक्षा वो भी विशेषकर लड़कियो की शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में इसकी क्वालिटी में सुधार करना।

इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं?

NPEGEL के अंतर्गत मुख्य खूबियां और लाभ	
सामुदायिक स्वामित्व और भागीदारी को मजबूत करने के लिए हितधारकों जैसे शिक्षक और स्थानीय एनजीओ को शामिल करके लड़कियों की शिक्षा के लिए समुदाय को एकजुट करना सघन सामुदायिक एकजुटता और स्कूलों में लड़कियों के नामांकन की निगरानी करने के लिए प्रत्येक बस्ती में "मॉडल स्कूल" का विकास करना	स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों, स्कूल बीच में छोडने वाली लड़कियों, बड़ी लड़कियों, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की है, कामकाजी लड़कियों, सीमांत सामजिक समूहों की लड़कियों, कम उपस्थिति वाली लड़कियों, कम उपलब्धि वाली लड़कियों, काम से बचाई गई लड़कियों, शोषित लड़कियों, सेक्स वर्करों की लड़कियों, ब्लॉक स्तर पर अशांत क्षेत्रों और शहरी बस्तियों की लड़कियों सहित विस्थापित लड़कियों के लिए योजना बनाना, क्रियान्वियन करना और निगरानी रखना।
अध्यापकों को लैंगिक संवेदनशील बनाना, लैंगिक-संवेदनशील बनाने से संबंधित शिक्षण सामग्रियों का विकास करना और लड़कियों की शिक्षा में सहायता करने के लिए आवश्यकता आधारित प्रोत्साहन जैसे सुरक्षित मार्गरक्षण, लेखन सामग्री, वर्कबुक, और वर्दी की व्यवस्था करना	लड़कियों में जानकारी के आधार, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास और जीवन कौशल एवं आजीविका क्षमताएं बढ़ाने के लिए प्रायोगिक शिक्षण गतिविधियों के जरिये लड़कियों का सशक्तिकरण करना।

[58] नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ़ गर्ल्स अट्ट एलीमेंट्री लेवल (NPEGEL) – ब्रीफ, SSA, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से लिया गया है http://ssa.nic.in/girls-education/npegel/brief_NPEGEL_12Mar07.pdf/view पर उपलब्ध है

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV)

यह कहां कार्यान्वित की जा रही है?

पूरे देश में:

- पूरे देश में शिक्षा की दृष्टि से पिछडे खंड (EBBs) अर्थात् पहचाने गए खंड, जहां महिला शिक्षा दर 46.13% के राष्ट्रीय औसत से कम है और साक्षरता में लैंगिक अंतर 21.59% के राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- EBBs में स्कूल ऐसे इलाकों में स्था्पित किए जाते हैं जहां अजा/अजजा और अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी अधिक है और जिनमें महिलाओं के बीच साक्षरता दर कम है और/या स्कूल न जाने वाली लड़कियों की संख्या। अधिक है; ऐसे क्षेत्र जहां छोटी और अलग-अलग बस्तियों की संख्या अधिक है जो स्कूल खोले जाने के पात्र नहीं हैं और इनको भी इस योजना के तहत शामिल किया जाता है।

इसके क्या उद्देश्य हैं?

प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर बोर्डिंग सुविधाओं वाले आवासीय स्कूलों की स्थापना करके समाज के वंचित समुदायों की लड़कियों के लिए पहुंच और क्वालिटी शिक्षा सुनिश्चित करना।

इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं?

6 से 14 वर्ष की लड़कियां विशेषकर अजा/अजजा, अपिव और अल्पसंख्यिक समुदायों की लड़कियां (75 प्रतिशत सीटें आरक्षित) और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की लड़कियां (25 प्रतिशत सीटें आरक्षित)

इसकी मुख्य खूबियां और लाभ क्या हैं?

KGBV योजना के अंतर्गत मुख्य खूबियां और लाभ	
मुख्य ऐसे क्षेत्रों में आवासीय स्कूल स्थापित करना, जिनमें 50 लड़कियां अजा/अजजा और अल्पसंख्यक समुदायों से हों और जो प्राथमिक स्तर पर स्कूल में पढ़ाई करने के लिए उपलब्ध हों। पात्र लड़कियों की संख्या के आधार यह संख्या 50 से अधिक हो सकती है। अपर प्राइमरी स्तर पर किशोर लड़कियों विशेषकर वे जो नियमित रूप से स्कूल जाने में असमर्थ हैं, उनकी शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करना उन बड़ी लड़कियों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करना जो स्कूल नहीं जा रही हैं या जो प्राइमरी शिक्षा पूरी करने में असमर्थ हैं। बहरहाल इसमें वे किशोर लड़कियां भी शामिल हैं जो दुर्गम क्षेत्रों में रह रही हैं (उच्च प्रवास वाली आबादी, अलग-अलग बस्तियां जो प्राथमिक/अपर प्राथमिक स्कूलों के पात्र नहीं हैं)	इस योजना के अंतर्गत स्थापित स्कूलों को जरूरी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करना। स्कूलों के लिए आवश्यक शिक्षण लर्निंग सामग्रियां और सहायता तैयार करना और प्राप्त करना लडकियों और उनके परिवारों को लड़कियों को आवासीय स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना और तैयार करना जहां कहीं संभव हों वहां एनजीओ और अन्य लाभ निरपेक्ष निकायों को स्कूलों को चलाने की प्रक्रिया में शामिल करना। आवासीय स्कूलों को कार्पोरेट समूह भी गोद ले सकते हैं।

माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को राष्ट्रीय प्रोत्साहन

यह कहां कार्यान्वित की जा रही है?

इसके उद्देश्य क्या है?

14-18 वर्ष की आयु वर्ग में बालिकाओं के नामांकन को बढ़ावा देने के लिए माध्यमिक स्तर, विशेष रूप से जो आठवीं कक्षा पास हो गई है और इस तरह लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है। लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना, मई 2008 में शुरू किया गया था।

कौन इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?

- सभी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की लड़कियों, जो आठवीं कक्षा पास हो गई हैं और
- वह लड़कियाँ, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है (चाहे वे अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं या नहीं) और राज्य / संघ राज्य सरकार में, सरकारी सहायता प्राप्त या स्थानीय स्कूलों में नौवीं कक्षा के लिए नामांकन करती हैं।
- नौवीं कक्षा में नामांकन के समय लड़कियों की उम्र 16 वर्ष (31 मार्च को) से कम होनी चाहिए।
- विवाहित लड़कियों, लड़कियाँ जो प्राइवेट सहायता प्राप्त स्कूलों, केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों, जैसे केवीएस, एनवीएस और सीबीएस संबद्ध स्कूलों में पढ़ रही हैं। उन्हें बाहर रखा गया है।

इसकी प्रमुख विशेषताएं और लाभ क्या हैं?

- सावधि जमा के रूप में 3,000 रुपये की राशि/- पात्र लड़कियों के नाम पर जमा किया जाता है। लड़कियों की उम्र 18 वर्ष तक पहुँचने पर और 10वीं कक्षा की परीक्षा पास करने पर ब्याज के साथ राशि को निकालने के हकदार हैं।
- माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए बालिका छात्रावास का निर्माण और संचालन के लिए योजना।

इसके उद्देश्य क्या है?

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं को बनाए रखना है ताकि छात्राएँ, स्कूल के दूर होने, माता-पिता की वित्तीय सामर्थ्य और अन्य संबंधित सामाजिक कारकों की वजह से अपनी पढ़ाई जारी रखने के अवसर से वंचित न रहे। योजना का एक अन्य उद्देश्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा छात्राओं की एक बड़ी संख्या के लिए सुलभ बनाना है।

कौन इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?

- कक्षा नौवीं और बारहवीं में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित 14-18 वर्ष की आयु वर्ग में छात्राएँ, और बीपीएल परिवार, इस योजना के लक्ष्य है। जो छात्र कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से पास हुए हैं उन्हें हॉस्टल के दाखिले में प्राथमिकता दी जाएगी। दाखिल किए लड़कियों में पचास प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों से होंगी ।

मेधावी छात्रों को लाल बहादुर शास्त्री छात्रवृत्ति

यह कहां कार्यान्वित किया जा रहा है?

दिल्ली

इसके उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को मान्यता और वित्तीय मदद देना है।

कौन लाभ ले सकते हैं?

सरकारी स्कूलों के कक्षा सातवीं - बारहवीं के छात्र जो पहले की कक्षा में

कुल 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो। उसकी / उसके माता पिता की आय प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रमुख विशेषताएं और लाभ क्या हैं?

प्रति वर्ष 400/- रुपए कक्षा सातवीं व आठवीं के छात्रों के लिए, 600/- रुपए प्रति वर्ष कक्षा नौवीं और दसवीं के छात्रों के लिए और ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए 1550 रुपए/- प्रति वर्ष है।

छात्रवृत्ति सत्र के मध्य में भुगतान किया जाएगा, ताकि यह किताबें खरीदने और अध्ययन सामग्री, स्टेशनरी आदि में छात्रों की मदद कर सके। आने वाले दिनो में छात्रवृत्ति के दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ।

एकीकृत बाल सुरक्षा योजना

यह कहां कार्यान्वित की जा रही है?

पूरे देश में

इसके क्या उद्देश्य हैं?

कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के कल्याण के लिए काम करना और ऐसी परिस्थितियों के प्रति उनके लिए जोखिम को कम करना जो उत्पीड़न, उपेक्षा, शोषण, परित्याग और परिवार से अलग होने के कारण बनते हैं।

इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं?

18 वर्ष से छोटी लड़कियां और लड़के जो देखभाल और सुरक्षा से वंचित हैं। किसी विवाद के अधीन बच्चो कानून से संपर्क करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

A) देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे को निम्नानुसार ढंग से परिभाषित कर सकते हैं:

- किसी घर या बसे स्थान के बगैर और बगैर किसी उत्तरजीवता प्रावधान के साधन के
- जो किसी व्यक्ति (बच्चे का संरक्षक हो या न हो) के साथ रहता है, जिससे बच्चे को जान का चोट का खतरा हों
- जो मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग हैं या किसी अन्य रोग से पीड़ित है और/या जिसे किसी का सपोर्ट नहीं है जिसके माता/पिता या संरक्षक हैं जो बच्चे की देखभाल करने में समर्थ नहीं हैं
- जिसके माता/पिता/संरक्षक/केयरटेकर नहीं हैं और जिसके माता/पिता ने उसे बंधक बना रखा है या जो गुमशुदा है या घर से भागा बच्चा है जिसके माता/पिता समुचित खोज के बाद भी नहीं मिले हैं
- गैर-कानूनी कृत्यों के द्वारा सकल रूप से उत्पीडित या यौन शोषण या किसी अन्य रूप में शोषण हो रहा है या होने की संभावना है
- जोखिम में पाया जाए और जिसके दवा दुरूपयोग या तस्करी में इस्तेमाल होने की संभावना है
- जो किसी सशस्त्र संघर्ष, नागरिक उपद्रव या प्राकृतिक आपदा का शिकार हो सकता है

B) कानून के तहत विवाद के अधीन वो बच्चा होता है जिस पर कोई अपराध करने का आरोप है

इसकी मुख्य खूबियां और लाभ क्या हैं?

ICPS योजना के अंतर्गत मुख्य खूबियां और लाभ

देखभाल, सहायता और पुनर्वास सेवाएं

- चाइल्ड लाइन देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों के लिए एक 24/7 इमरजेंसी फोन सेवा है जो उन्हें आपात एवं दीर्घकालिक देखभाल एवं पुनर्वास सेवाओं से जोड़ती है। ये सेवा 1098 नंबर डायल करके भी प्राप्त की जा सकती हैं।
- स्पांसरशिप के जरिये परिवार आधारित और गैर-संस्थागत देखभाल; मजबूत देखभाल, अपनाना और देखभाल उपरांत
- कानून के अधीन विवादग्रस्त बच्चों और शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों (शेल्टर होम, आब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए विशेष सेवाएं) के बच्चों के लिए नई संस्थागत सुविधाएं प्रदान करना और मौजूदा संस्थागत सुविधाओं का रखरखाव करना

वित्तीय सहयता

- आवश्यकता आधारित/इनोवेटिव कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता। ऐसे कार्यक्रम जिले/शहर की विशेष जरूरतों पर आधारित होंगे और यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए कैदियों, सेक्स वर्करों के बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम। इस घटक का उपयोग आपदा के उपरांत पुनर्वास कार्यों के लिए भी किया जा सकता है।
- प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड स्थापित करने के लिए वित्तीय और इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट
- प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण
- बच्चों और उनके परिवारों को परामर्श देने के लिए परामर्शदाताओं का एक कैडर बनाना
- बाल सुरक्षा डाटा प्रबंधन और रिपोर्टिंग के लिए एक सिस्टम विकसित करना और बाल सुरक्षा योजनाओं की निगरानी करने के लिए एक प्रणाली बनाना
- बाल सुरक्षा के मुद्दों पर समर्थन, जन संचार और शिक्षा

एकीकृत बाल विकास सेवाएं (ICDS) योजना

यह कहां कार्यान्वित की जा रही है?

पूरे देश में

इसके क्या उद्देश्य हैं?

प्री-स्कूल शिक्षा मुहैया कराना और 0 से 6 साल के बच्चों में कुपोषण, रुग्णयता दर, कम शिक्षण क्षमता और मृत्यु दर की समस्याओं का समाधान करना। विशेष उद्देश्यों में शामिल हैं:

- 0 से 6 साल के बच्चों में पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना;
- बच्चे के सही मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की बुनियाद रखना;
- मृत्यु दर, रुग्णकता दर, कुपोषण और स्कूल ड्रॉपआउट के मामलों में कमी लाना; बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न समूहों के बीच समन्वय बढ़ाना और प्रभावी क्रियान्वयन हासिल करना; और
- सही पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के जरिये बच्चे की सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण जरूरतों को पूरा करने के लिए मां की क्षमताओं को बढ़ाना।

इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं?

0 से 6 वर्ष के बच्चे, 15 से 45 वर्ष की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं।

इसकी मुख्य खूबियां और लाभ क्या हैं?

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं: :

- पूरक पोषण,
- टीकाकरण
- स्वास्थ्य जांच,
- रैफरल सेवाएं
- प्री स्कूल अनौपचारिक शिक्षा और
- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा

सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराने की अवधारणा मुख्यतया इस विचार पर आधारित है कि अगर विभिन्न सेवाएं एकीकृत तरीके से विकसित की जाएं तो समग्र प्रभाव अधिक व्यापक होगा क्योंकि सेवा विशेष का प्रभाव इसको संबंधित सेवाओं से मिलने वाले सपोर्ट पर निर्भर करता है।

ICDS की मुख्य खूबियां और लाभ

सेवाएं	लक्षित समूह	सेवा प्रदाता
पूरक पोषण	6 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली मां (PLM)	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW) और आंगनवाड़ी सहायक (AH)
टीकाकरण*	6 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली मां (PLM)	सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM)/ मेडिकल ऑफिसर (MO)
स्वास्थ्य जांच*	6 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली मां (PLM)	ANM/MO/AWW
रैफरल सेवाएं	6 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली मां (PLM)	ANM/MO/AWW
प्री स्कूल शिक्षा	बच्चे (3-6 वर्ष)	AWW
पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा	महिलाएं (15-45 वर्ष)	ANM/MO/AWW

*आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लक्षित समूहों की पहचान करने में ANM की सहायता करते हैं। 6 में से 3 सेवाएं नामत: टीकाकरण, **स्वास्थ्य** जांच और रैफरल सेवाएं **स्वास्थ्य** एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सार्वजनिक **स्वास्थ्य** इन्फ्रास्ट्रक्चर के जरिये प्रदान की जाती हैं।

किशोरी शक्ति योजना[59]

यह कहां कार्यान्वित की जा रही है?

पूरे देश में चुने गए ब्लॉकों में

इसके क्या उद्देश्य हैं?

किशोर लड़कियों का पोषण, स्वास्थ्य और विकास की स्थिति में सुधार करना, स्वास्थ्य, सफाई, पोषण और पारिवारिक देशभाल को बढ़ावा देना, जीवन कौशल सीखने के अवसरों से उन्हें जोड़ना, स्कूल वापस जाना, सामाजिक वातावरण की बेहतर समझ को बढ़ने में उनकी मदद करना और समाज का उत्पादक सदस्य बनाने के लिए नए कदम उठाना।

इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं?

11 से 18 साल की लड़कियां।

इसकी मुख्य खूबियां और लाभ क्या हैं?

यह योजना वर्तमान ICDS में काम करती है।

योजना के तहत किशोर लड़कियों को जीवन कौशल के विभिन्न पहलुओं पर अनौपचारिक शिक्षा की पेशकश की जाती है जिसमें शारीरिक विकास एवं यौन शिक्षा शामिल है। इसके अलावा, लड़कियों की स्वास्थ्य और पोषण स्थिति में सुधार करने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों में उन्हें बेसिक स्वास्थ्य पूरक दिए जाते हैं जैसे आयरन/फोलिक एसिड और कीड़े मारने की गोलियां आदि।

किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (RGSEAG) या SABLA

यह कहां कार्यान्वित की जा रही है?

देशभर के चुने गए 200 जिलों में। यह ICDS परियोजनाओं के तहत काम करती है और इसने ब्लॉकों में इन जिलों किशोरी शक्ति योजना का स्थान लिया है।

इसके क्या उद्देश्य हैं?

- किशोर लडकियों के स्वर विकास और सशक्तिकरण को समर्थ बनाना
- उनकी पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना
- स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, किशोर प्रजनन और यौन शिक्षा (ARSH) एवं परिवार और बाल देखभाल
- घर आधारित जीवन कौशल को अपग्रेड करना और इसे व्यवसायिक कौशल हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम (NSDP) के साथ शामिल करना
- स्कूल नहीं जाने वाली किशोर लड़कियों को औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा में शामिल करना
- वर्तमान सार्वजनिक सेवाओं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाकघर, बैंक, पुलिस स्टेशन आदि के बारे में सूचना/मार्गदर्शन प्रदान करना।

इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं?

11 से 18 साल की लड़कियां। आयु विशिष्ट हस्तक्षेप की योजना बनाने के लिए इस समूह को दो और श्रेणियों में विभाजित किया गया है: 11 से 15 साल की लड़कियां और 15 से 18 साल की लड़कियां

इसकी मुख्य खूबियां और लाभ क्या हैं?

SABLA की मुख्य खूबियां और लाभ	
यह योजना राज्यों /केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित समय सारणी और आवर्ती के अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों के जरिये स्कूल नहीं जाने वाली सभी लड़कियों की जरूरतों को पूरा करती है। दूसरी लड़कियां अर्थात् स्कूल जाने वाली लडकियां माह में कम से कम दो बार आंगनवाड़ी केन्द्र में मिलती हैं और छुट्टियों के दौरान अधिक बार मिलती हैं, जहां वे जीवन कौशल, शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, अन्य सामाजिक-कानूनी मसलों पर जागरूकता आदि प्राप्त करती हैं। यह स्कूल जाने वाली और स्कूल न जाने वाली लड़कियों के बीच मिश्रित समूह संवाद का अवसर प्रदान करता है और उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित करता है।	किशोर लड़कियों को सेवाओं का एक एकीकृत पैकेज प्रदान करता है, जिसमें शामिल हैं: • पोषण व्यवस्था • आयरन एवं फोलिक एसिड पूरक • स्वास्थ्य जांच और रैफरल सेवाएं • पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (NHE) • परिवार कल्याण, ARSH, बाल देखभाल पद्धतियों और घर प्रबंधन पर परामर्श/मर्गदर्शन • जीवन कौशल शिक्षा और सार्वजनिक सेवाएं प्राप्त करना • राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम (NSDP) के अंतर्गत 16 और उससे अधिक उम्र की लड़कियों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण
आंगनवाड़ी केन्द्र में किशोरी समूह बनाने का अवसर देता है (15-20 किशोर लड़कियों के समूह) जो रोटेशन के आधार पर दो लड़की लीडरों की अगुवाई में सहयोगी शिक्षक/मॉनिटर का काम करते हैं।	चिकित्सा अधिकारियों/ द्वारा किशोरी दिवस या सामान्य स्वास्थ्य जांच दिवस आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा, सभी किशोर लड़कियों के लिए हेल्थ कार्ड रखना अनिवार्य है।

[59] http://wcd.nic.in/KSY/ksyintro.htm से लिया गया

प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता (STEP)[60]

यह कहां कार्यान्वित की जा रही है?

पूरे देश में

इसके क्या उद्देश्य हैं?

विभिन्न कार्य उन्मुखी परियोजनाओं, जो बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार प्रदान करते हैं, के जरिये महिलाओं के लिए कौशल और स्थायी रोजगार के उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। इस योजना में रोजगार के विभिन्न क्षेत्र शामिल किए गए हैं जिनमें कृषि, लघु पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन, हथकरघा, हस्त शिल्प, खादी एवं ग्रामोधोग, रेशम उत्पादन, सामाजिक वानिकी और बंजर भूमि विकास आदि शामिल हैं। इस योजना के विशिष्ट उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- छोटे व्यवहार्य समूहों में महिलाओं को एकजुट करना और प्रशिक्षण और ऋण पहुंच के जरिये संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना
- महिलाओं के समूहों को बैकवार्ड और फारवर्ड लिंकेज मुहैया कराकर रोजगार एवं आय सृजन कार्यक्रम शुरू करने के लिए महिलओं के समूहों को समर्थ बनाना।
- महिलाओं की प्रशिक्षण अैर रोजगार स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना।

इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं?

- सीमांत, परिसंपत्ति हीन ग्रामीण महिलाएं और शहरी गरीब जिनमें अजा/अजजा परिवार और गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों पर विशेष ध्यान के साथ दिहाड़ी मजदूर, अवैतनिक दैनिक कामगार, महिला मुखिया वाले परिवार, प्रवासी मजदूर, आदिवासी और अन्य वंचित समूह शामिल हैं।
- यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियें, संघों, सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 या संबंधित राज्यों के अधिनियमों के तहत पंजीकृत सहकारी और स्वैच्छिक संगठनों के जरिये कार्यान्वित की जा रही है। STEP के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले निकाय, संगठन या एजेंसियों का ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत होना जरूरी है, हालांकि उनका मुख्यत शहरी क्षेत्रों में हो सकता है।

इसकी मुख्य खूबियां और लाभ क्या हैं?

प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रमों (STEP) के लिए सहायता की मुख्य खूबियां और लाभ	
निम्नलिखित के लिए महिलाओं हेतु सेवाओं का एकीकृत पैकेज: • प्रशिक्षण के जरिये कौशल उन्नयन • बेहतर और स्थायी रोजगार के अवसर • रोजगार और आजीविका में बैकवार्ड और फारवर्ड लिंकेज • महिला स्व सहायता समूहों के गठन में सहायता करना • सहायक सेवाएं जिनमें स्वास्थ्य के जांच, रैफरल सेवाएं, मोबाइल क्रेच और शिक्षा सुविधाएं शामिल हैं	निम्नलिखित लागतों को वहन करने के लिए संगठनों और एजेंसियों को पूर्ण वित्तीय सहायता: • परियोजना स्टॉफ और प्रशासनिक लागत • प्रशिक्षण-वजीफा, प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, कौशल विकास, प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र और प्रशिक्षण के लिए कच्ची सामग्रियां • सहकारी सोसायटी बनाने में सदस्यों, उत्पादिकों, औपचारिक कानूनी संगठन के लिए कामगार सहकारियों को सहायता • सेवा-शिक्षा, सामान्य जागरूकता, स्वास्थ्य, देखभाल, स्वच्छता, आश्रित बच्चों के लिए पोषण/क्रेच सुविधाएं, जहां कहीं भी इन सेवाओं का अभिसरण उपलब्ध नहीं है

[60] http://wcd.nic.in/schemes/step_scheme.pdf से लिया गया है

प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रमों (STEP) के लिए सहायता की मुख्य खूबियां और लाभ	
	• विपणन सहायता -विपणन/बिक्री कर्मी, स्टाक प्रावधान और खरीददार ऋण • गोदाम, बिक्री आउटलेट, गुणवत्ता नियंत्रण, और प्रबंधकीय सहायता[59] कार्यक्रम के तहत संगठनों और एजेंसियों को प्रशिक्षण से असंबंधित वर्क शेड और उत्पादन केन्दों के निर्माण के लिए 50 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता। शेष 50 प्रतिशत लागत कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वहन की जाएगी।
	वित्तीय सहायता कार्यशील पूंजी और कच्ची सामग्री के लिए चरणों में मुहैया कराई जाएगी, परियोजना के पहले वर्ष के दौरान 100 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 50 प्रतिशत और तीसरे वर्ष 30 प्रतिशत।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY)–सशर्त मातृत्व लाभ (CBM) योजना[61]

यह बेहतर माहौल में योगदान देने के लिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है, जिसमें गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। "इंदिरा गांधी मातृत् सहयोग योजना (IGMSY)" –सशर्त मातृत्वा लाभ (CMB) योजना एकीकृत बाल विकास सेवाएं (ICDS) योजना के प्लेपटफार्म के जरिये कार्यान्वित की जाएगी। कार्यान्वयन का केन्द्रबिंदु गांव स्थित आंगनवाड़ी केन्द्र रहेगा।

यह कहां कार्यान्वित की जा रही है?

देशभर में 52 जिलों में

इसकी मुख्य खूबियां और लाभ क्या हैं?

नकद हस्तांतरण चुने गए जिलों में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को उनके स्वास्थ्य एवं पोषण जरूरतों को पूरा करने के लिए मुहैया कराया जाएगा। यह योजन महिलाओं की उस मजदूरी की अंशत: क्षतिपूर्ति करती है जो वह अपने और अपने बच्चे की देखभाल के लिए गंवाती है। यह मां और बच्चे की स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी विशिष्ट शर्तों को पूरा करने के आधार पर इन्सेंटिव मुहैया कराकर मां और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए मांग में भी वृद्धि करती है। प्रत्येक गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माता को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन दूसरी तिमाही से बच्चे के 6 माह का होने तक की अवधि के दौरान कुल ₹ 4000 का इंसेंटिव दिया जाएगा:

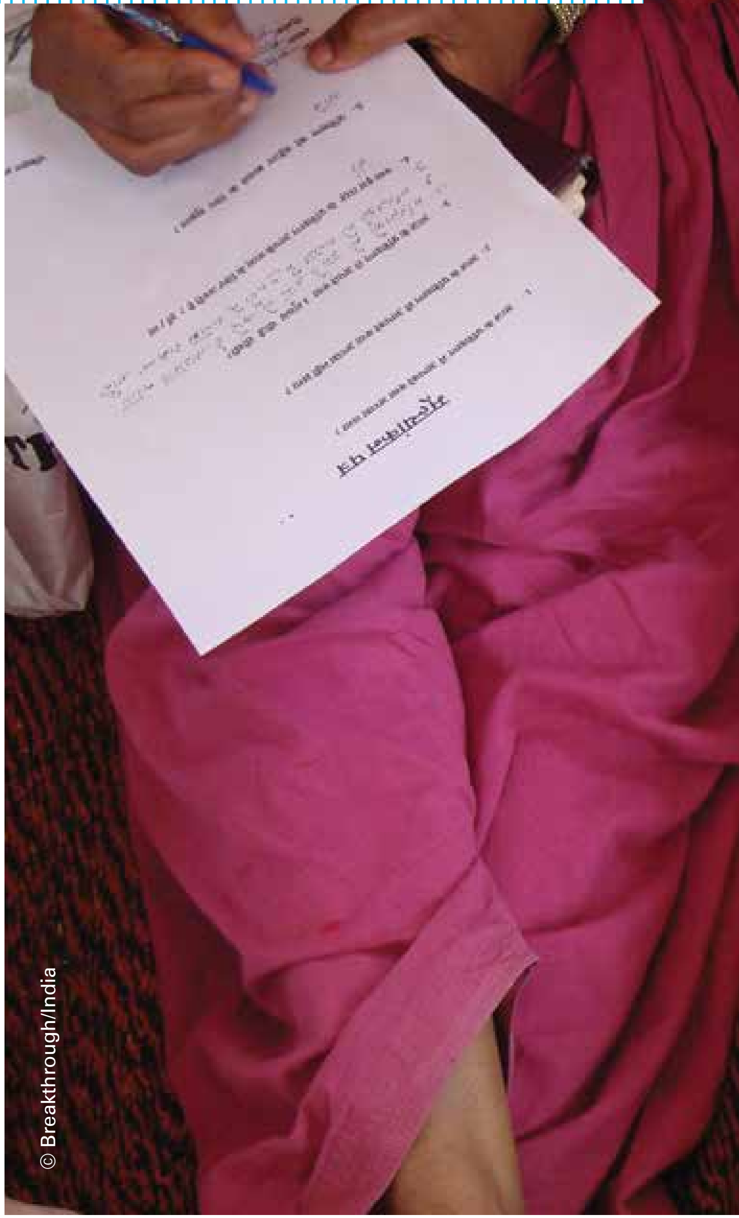

© Breakthrough/India

[61] http://wcd.nic.in/sites/default/files/IGMSYscheme.pdf से लिया गया है

© Breakthrough/India

नकद हस्तांतरण	शर्त	रकम	सत्यासपन का माध्यतम
पहला (दूसरी तिमाही के अंत में)	गर्भाधान के चार माह के अंदर आंगनवाड़ी केन्द्र/ स्वास्थ्य केन्द्र में पंजीकरण • IFA गोली और TT के साथ कम से कम एक ANC • AWC / VHND में कम से कम एक परामर्श सत्र में भाग लिया हों	1,500	संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्र/ स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा गर्भवती महिला के पंजीकरण को दर्शाने वाला मां और शिशु सुरक्षा कार्ड जिस पर AWW के प्रति हस्ताक्षर किए गए हों
JSY के तहत इंसेंटिव दूसरा	जल्दी स्तनपान शुरू करने के साथ कोलेस्ट्रॉम फीड सुनिश्चित करने सहित संस्थागत प्रसव के लिए JSY पैकेज	JSY मानदंडों के अनुसार	
दूसरा (प्रसव के बाद 3 माह)	बच्चे् का जन्म पंजीकृत है। . • बच्चे ने लिया है: जन्म के समय OPV और BCG 5 हफ्ते पर OPV और DPT 10 हफ्ते पर OPV और DPT	1,500	मां और शिशु सुरक्षा कार्ड, विकास निगरानी चार्ट और टीकाकरण रजिस्ट्र *यह मृत जन्म और नवजात मृत्यु दर के लिए भी उपलब्ध होगा
तीसरा (प्रसव के बाद 6 माह)	छह माह तक केवल स्तनपान कराया है और मां द्वारा यथा प्रमाणित पूरक आहार शुरू किया गया है • बच्चे ने OPV और DPT की तीसरी खुराक ले ली है • प्रसव के तीसरे और छठे माह के बीच कम से कम दो विकास निगरानी एवं IYCF परामर्श सत्रों में भाग लिया है	1,000	स्वर प्रमाण, मां और शिशु सुरक्षा कार्ड, विकास निगरानी चार्ट और टीकाकरण रजिस्टर

इसके क्या उद्देश्य हैं?

गर्भावस्था और प्रसव के दौरान देखभाल: 1) गर्भावस्था और प्रसव की जल्दी पहचान करना 2) जन्म् रोधी देखभाल 3) संस्थागत प्रसव

नवजात देखभाल: 1) टीकाकरण 1) विकास निगरानी 3) नवजात और बाल आहार और देखभाल

इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं?

19 वर्ष या उसे अधिक उम्र की महिलाएं, दो जीवित बच्चों के लिए (मृत जन्में बच्चों के लिए लाभ योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे) सभी सरकारी/ पीएसयू (केन्द्र और राज्य) कर्मचारी इस योजना में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वे सवेतन मातृत्व अवकाश की पात्र होती हैं।[60]

उज्जवला योजना[62]

मानव तस्करी की रोकथाम और व्यवसायिक यौन शोषण के लिए मानव तस्कवरी के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और पुन:एकीकरण की विस्तृत योजना।

यह कहां कार्यान्वित की जा रही है?

19 राज्यों् में

इसकी मुख्य खूबियां और लाभ क्या हैं?

- रोकथाम

- बचाव
- पुनर्वास
- पुन: एकीकरण
- प्रत्यावर्तन

इसके क्या उद्देश्य हैं?

- सामाजिक एकजुटता और समुदायों को शामिल करके, जागरूकता कार्यक्रमों, कार्यशालाओं/सेमिनारों और ऐसे आयोजनों या किसी अन्य क्रियाकलाप के जरिये सार्वजनिक प्रकटन के जरिये व्यवसायिक यौन शोषण के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकना। पीड़ितों को उनके उत्पीड़न वाले स्थान से निकालने और उन्हें सुरक्षित कस्टडी में रखने में सहायता करना।
- बुनियादी सुविधाएं और चीजें जैसे शेल्टर, भोजन, कपड़े, चिकित्सा, परामर्श, कानूनी सहायता और मागदर्शन एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर पीड़ितों को तात्कालिक एवं दीर्घकालिक पूनर्वास सेवाएं प्रदान करना।
- पीड़ितों का उनके परिवार और समाज में बड़े पैमाने पर पुन: एकीकरण में सहायता करना
- पीड़ितों का उनके मूल देश में प्रत्यावर्तन में सहायता करना

इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं?

- महिलाएं और बच्चे जो व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी के शिकार हो सकते हैं ।
- महिलाएं और बच्चे जो व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी के शिकार हैं।

लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस योजना और कानून के साथ कई और कदम उठाए गए हैं। इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:-

महिलाओं के लिए विशेष कदम

राष्ट्रीय महिला आयोग

जनवरी, 1992 में सरकार ने महिलाओं के लिए दिए गए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षापायों से संबंधित सभी मामलों का अध्येन और निगरानी करने, जहां कहीं आवश्यक हों वहां संशोधन का सुझाव देने के लिए मौजूदा कानूनों की समीक्षा करने के लिए विशिष्ट अधिदेश के साथ इस सांविधिक निकाय की स्थापना की थी।

स्थानीय स्व-सरकार में महिलाओं के लिए आरक्षण

संसद द्वारा 1992 में पारित 73 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम स्थानीय निकायों, चाहे ये शहरी क्षेत्रों में हों या ग्रामीण क्षेत्रों में हों, में सभी निर्वाचित ऑफिसिस में महिलाओं के लिए कुल् सीटों में एक तिहाई सीटें सुनिश्चित करता है।

लड़कियों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (1991-2000)

यह कार्य योजना लड़कियों के लिए बेहतर भविष्य के निर्माण के अंतिम उद्देश्यो के साथ लड़कियों की उत्तजीविता, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करता है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति, 2001

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में महिला एवं बाल विकास विभाग ने वर्ष 2001 में "महिलाओ के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति" तैयार की है। इस नीति का उद्देश्य महिलाओं के लिए उन्नति, विकास और सशक्तिकरण को सुगम बनाना है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए लिंक पर जाएं:

नेशनल लीगल रिसर्च डेस्क http://nlrd.org/womens-rights-initiative/legislations-laws-related-to-women/constitutional-and-legal-provisions-for-women-in-india http://www.loc.gov/law/help/sex-selection/india.php

[62] http://wcd.nic.in/sites/default/files/Revise%20Ujjawala%20Scheme-2.pdf से लिया गया। http://nlrd.org/187-projects-sanctioned-across-19states-under-ujjawala/ से लिया गया

टिप्पणी

टिप्पणी

breakthrough
human rights start with you

E-1A, First Floor, Kailash Colony, New Delhi 110 048, India
☎ 91-11-41666101 Fax 91-11-41666107

✉ contact@breakthrough.tv

www.inbreakthrough.tv
/BreakthroughIN
@INBreakthrough

unicef
unite for children

73 Lodi Estate, New Delhi 110 003, India
☎ 91-11-24690401 Fax 91-11-24627521

✉ newdelhi@unicef.org

www.unicef.in
/unicefindia
@UNICEFIndia